राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

गुरूवार,
23 मार्च, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.48 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र गीत

श्री उपाध्यक्ष : वन्दे मातरम् के लिए खड़े हो जाएँ।

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमिद धुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम बलदाम मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री सत्यप्रकाश पाठक (सचिव, राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं महामहिम, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

(अभिभाषण की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं दसवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र में पारित निम्न विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(1) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1994

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1994

(3) राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994

(4) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश। श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ बड़ी वाहवाही लूटी थी सरकार ने नगरपालिका संशोधन विधेयक में और...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अभी ठहर जाओ, आज शोकाभिव्यक्ति है। बैठ जाइये। बाद में कह देना।

श्री विष्णु मोदी : मैं बता रहा हूँ कि फेमिली प्लानिंग में आपने जो किया था, शर्म तो आ रही होगी, लाज तो आ रही होगी कि आपने उस वक्त कानून तो पास कर दिया

(श्री विष्णु मोदी)

और उसके बाद में आपने आर्डिनेंस जारी करके इसको हटाया।

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शोकाभिव्यक्ति के सम्बन्ध में सदन में स्वर्गीय सदस्यों के प्रति सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारूण दुःख को सहन करने के लिये भगवान से प्रार्थना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

महोदय, पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैलसिंह जी का स्वर्गवास पिछले दिनों एक दुर्घटना के कारण से हुआ।

ज्ञानी जी भारत के सर्वोच्च पद पर पहुँचे थे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने कर्तव्य के कारण, देश के प्रति सेवा के कारण और समाज की सेवा के कारण देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचने वाले व्यक्ति श्री ज्ञानी जैलसिंह जी हमारे बीच से उठ गये।

ज्ञानी जी ने अपने प्रारम्भिक जीवन में देश की आजादी के लिये किस प्रकार से संघर्ष किया जाए, संघर्ष करने की प्रवृत्ति अपने आप में उत्पन्न कर जो भी आन्दोलन में लगे हुए थे, उनके साथ हुए। उस समय भी उन्होंने जेल की यात्राएं भुगतीं और जेल की यात्राओं में उन्होंने जेल जाकर केवल चुप बैठे रहो, इस प्रकार की बात नहीं, राजनैतिक शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षा ग्रहण की।

पहली बार वे पंजाब के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और शनैः शनैः बढ़ते-बढ़ते वे हिन्दुस्तान के गृह मंत्री बने और गृह मंत्री के पश्चात् वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति बने।

ज्ञानी जी का स्वभाव, मैं ऐसा समझता हूँ, सदन के माननीय सदस्य सब अच्छी तरह से जानते थे कि उनके स्वभाव में तनाव नाम की चीज कभी भी देखी नहीं गयी। तनावपूर्ण स्थिति में भी जहाँ ज्ञानी जी पहुँच गये उस तनाव को तो हल्का किया ही, और साथ ही अपनी जो मंशा थी उस मंशा को जनता के सामने रखकर उसके अनुरूप मानस बनाने की चेष्टा की।

वे लेखक भी थे, विद्वान् भी थे, शायर भी थे और सब प्रकार के माहौल में किस प्रकार से आदमी निकले, इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रही है।

वह व्यक्ति हमारे बीच से उठ गये, मैं समझता हूँ, हम सबको दुःख है और इसी दृष्टि से मैंने उनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव रखा है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में पहले जो मुख्य मंत्री बने थे, प्रथम बार एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में श्री टीकाराम जी पालीवाल का भी देहावसान इसी बीच में हुआ है।

श्री पालीवाल जी के सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें जानता हूँ। कितने दृढ़ विचारों का व्यक्ति था कि एक बार अगर सही बात उनके दिमाग में बैठ गयी, उसके बाद में वह इसको लागू करने में इस प्रकार से आगे बढ़े हुए रहते थे, उसको रोकने का आसानी से किसी के हाथ में कोई उपाय नहीं था।

पालीवाल जी पहले मुख्य मंत्री बने, उस समय ऐसा लगता था कि विधान सभा में, पहली ही विधान सभा, पहला ही मुख्य मंत्री, आज तो पहले दिन विधायक बनकर आते हैं तो भी यह चिन्ता रहती है कि विधान सभा में कैसे बैठेंगे, किस प्रकार से सवाल पूछेंगे लेकिन वे पहले मुख्य मंत्री बने और मुख्य मंत्री बनने के बाद विधान सभा की गरिमा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज दो व्यक्तियों पर निर्धारित होती है, एक टीकाराम जी पालीवाल और एक नरोत्तम जी जोशी। पहले मुख्य मंत्री बनकर इस विधान सभा में जिस प्रकार की परम्पराएं उन्होंने स्थापित कीं और नरोत्तम जी जोशी जिनका मैं आगे उल्लेख करूंगा उन्होंने जिस प्रकार का विधान सभा का संचालन किया, यह उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान की विधान सभा का अन्य विधान सभाओं से अलग-सा इतिहास है, एक अलग-सी परम्परा है, एक अलग-सा सौहार्द है और सामन्जस्य से काम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। वे टीकारामजी पालीवाल भी हमारे बीच से चले गये, इसका भी हमको दुःख है।

श्री नरोत्तम जी जोशी के लिये तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अधिकांश सदस्य जो उस समय नरोत्तम जी को एक स्पीकर के रूप में जानते हैं, उनको यह विश्वास होगा कि इस विधान सभा में परम्पराएँ किस प्रकार से कायम हों, विधान सभा में अनुशासन किस प्रकार से रखा जाए और विधान सभा के सदस्य अपनी मर्यादा में किस प्रकार से रहें, इस बात की पृष्ठभूमि किसी एक व्यक्ति ने तैयार की है तो वे नरोत्तम जी जोशी थे।

मुझे याद है, मैं विधायक था, आज हम सब कुछ बोल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन नरोत्तम जी के वक्त में उनकी बिना अनुमति के कोई बात रख दे, इस प्रकार की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। मैं यह भी कह सकता हूँ कि उन्होंने बोलने का अवसर भी सदस्यों को खूब दिया है। यह भी नहीं है कि वाणी पर उन्होंने कोई किसी भी प्रकार से प्रतिबन्ध लगाया हो। विचार व्यक्त करने का अवसर पूरा दिया है। हम जिस समय आये थे, मैं समझता हूँ खेत्तसिंह जी को जानकारी होगी कि प्रश्न किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। काल अटेंशन नोटिस क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं थी। कट मोशन्स किस प्रकार से दिये जाएं, इसकी जानकारी नहीं थी। सब लोग नये-नये आये थे। मुझे याद है, मंशाराम जी पुरोहित जो उस समय यहाँ के सचिव थे और नरोत्तम जी जोशी 5-5, 6-6 एम.एल.एज. को बुलाकर–प्रश्न किस प्रकार से लिखे जाएं, काल अटेंशन किस प्रकार से दिया जाए, बजट का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, गर्वनर के एड्रेस पर किस प्रकार से चर्चा उठायी जाए और बाकी अन्य विषयों पर एडजोर्नमेंट मोशन वगैरह किस प्रकार से दिये जाएं, एक प्रकार से ट्रेनिंग देते थे और उस ट्रेनिंग के आधार पर उस समय के मैम्बर्स यहाँ कई बैठे हैं, वे जानते हैं कि अनुशासन का उन्होंने कितना सख्ती से पालन कराया और उसी के कारण इस विधान सभा की गरिमा लगातार-लगातार बढ़ती जा रही है।

आज हम दूसरी विधान सभाओं की तुलना करते हैं तो चाहे कई बार तनाव पैदा हो जाए और भी कुछ परिस्थितियां पैदा हो जाएं लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आज की विधान सभा में जो परम्पराएं बनी हैं, टीकाराम जी पालीवाल और नरोत्तम जी जोशी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यह विधान सभा उनके इस कन्ट्रीब्यूशन को भूल नहीं सकती, किसी भी हालत में भूल नहीं सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पूर्व मुख्य मंत्री, मणिपुर श्री कोईरेंग सिंह का इस अवधि में निधन हुआ है। उस व्यक्ति ने किस प्रकार से सारे वातावरण में अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण से, व्यक्तिगत प्रभाव के कारण से उस क्षेत्र को उन परिस्थितियों में बचाया है जिन परिस्थितियों में वहां पर कई बार उपद्रव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुए और उपद्रव में किस प्रकार से नियंत्रण किया, नियंत्रण की एक विशेष व्यवस्था के साथ उस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे बीच से उठ गये, हमारे बीच से वह भी चले गये, मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री श्री रामकिशन जी का देहावसान भी इस बीच में हुआ है। रामकिशन जी बहुत ही सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। मुझे याद है, जिस समय एक बार मुख्य मंत्री बने थे, उस समय समाचार-पत्रों में यह चर्चा आयी कि इस प्रकार का सीधा-सादा व्यक्ति किस प्रकार से मुख्य मंत्री का काम चला सकता है। लेकिन लोग जानते हैं कि पंजाब के मुख्य मंत्री रहकर उन्होंने उस सीधे-सादेपन से इस प्रकार के दृढ़ निर्णय लिये हैं जो पंजाब के इतिहास में मिटाये नहीं जा सकते। उस प्रकार का व्यक्ति भी हमारे बीच से चला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इसी सदन के सदस्य और राज्य मंत्री, श्री बृजराज सिंह जी का अचानक देहावसान हो गया। कई दिनों तक बीमार अवश्य रहे लेकिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह व्यक्ति अगली विधान सभा के सत्र में नहीं आयेंगे और इस बीच ही उनका देहावसान हो जाएगा। उनके दाह संस्कार में मैं गया हूं और दाह संस्कार में जाने के बाद मुझे पता लगा कि आदमी अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं। कितने हजारों की संख्या में लोग वहां पर आये और दाह संस्कार में शामिल हुए और अश्रुपूरित आंखों से उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसी प्रकार से इसी विधान सभा के सदस्य श्री जगदीश चन्द दरक के लिये मैं इतना कह सकता हूं, मैंने हमारे कई मित्रों को कहा भी है और पहले भी मैं उदाहरण देता था कि वे म्यूनिसपैलिटी के चेयरमैन रहे, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के नाते उस व्यक्ति ने भीलवाड़ा में कितना बढ़िया काम किया, कितना अच्छा काम किया कि उसके बाद जब विधायक चुने गये तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं हुई।

(13.00)

सरल स्वभाव का व्यक्ति मृदुभाषी, कभी किसी प्रकार का तनाव मन में नहीं हो, उस व्यक्ति को मैसिव हार्ट अटैक हुआ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस आदमी को कभी दर्द किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ लेकिन मैसिव हार्ट अटैक हो और एक मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। ईद के दिन वह ईद मिलन समारोह में जाकर आये थे और आकर घर बैठे थे और कपड़े बदल रहे थे, कपड़े बदलते-बदलते उस आदमी के प्राण निकल गए। मैं उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामप्रताप कटारिया इसी विधान सभा के सदस्य थे। एक दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। यह भी बहुत दुःखद बात है।

वह एक काश्तकार थे। काश्तकारों की समस्याएं खूब अच्छी तरह से समझते थे। विधान सभा में कई बार किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने उद्‌गार प्रकट किये हैं। वह भी हमारे बीच से चले गये।

श्री रामकरण जी, पूर्व सदस्य, सातवीं विधान सभा भी हमारे बीच से चले गये। यह भी किसानों के अच्छे प्रतिनिधि थे। अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे। लोकप्रियता के साथ-साथ उन्होंने कई विकास के कामों में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस प्रकार से अपना योगदान किया है वह क्षेत्र उनको भुला नहीं सकता।

बेगाराम जी पांचवीं विधान सभा के सदस्य थे। पांचवी विधान सभा के सदस्य के साथ-साथ उन्होंने शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लिये लगातार वर्षों तक काम किया। एक दिन नहीं, जब तक वह जीवित थे, कोई समय ऐसा नहीं जाता था कि शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के मामले को लेकर, चाहे लोक सभा में मामला उठाने का प्रश्न हो, चाहे विधान सभा में मामला उठाने का प्रश्न हो, वह प्रश्न उठाते रहे। साथ ही साथ इतने सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। सादगी उनके जीवन का एक प्रकार से प्रतीक था। वह भी हमारे बीच से चले गये।

श्री भोपाल सिंह भाटी पांचवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं। जैसलमेर के जिला प्रमुख रहे। जैसलमेर के गांव-गांव से वे परिचित थे। लोगों से उनका सम्पर्क बहुत बढ़िया था। चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, उस युद्ध के समय उस क्षेत्र की जनता का मनोबल किस प्रकार से बनाकर रखें, उसमें श्री भोपाल सिंह जी भाटी का बहुत सक्रिय योगदान रहा है। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से चले गये।

श्री चन्दर सिंह जी, पूर्व सदस्य, दूसरी राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। चन्दर सिंह जी हंसी-मजाक वाले व्यक्ति थे। जहां अपने क्षेत्र की समस्याओं को तो रखते ही थे लेकिन किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो, क्षेत्र की समस्याओं को रखें और बहुत ही सीधी-सादी प्रकृति का व्यक्ति, मैंने कभी विवाद में पड़ते हुए उस व्यक्ति को नहीं देखा, वह भी हमारे बीच से चले गये।

श्री चुन्नीलाल जी बिड़ला पहली राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। कुछ लोग कहेंगे कि मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चुन्नीलाल जी बिड़ला को मैं आज भी अच्छी तरह से पहचानता हूं, जानता भी हूं। जिस समय आये थे, हम कई बार साथ-साथ जाते थे। विधान सभा में आज तो गाड़ियां आती हैं, मंत्रियों की गाड़ियां हैं, और गाड़ियां हैं। पहले विधान सभा के सदस्य एम.एल.एज. क्वार्टर्स से या गवर्नमेंट हॉस्टल से पैदल आते थे और पैदल ही जाते थे। वह पैदल जाने वालों की टोली में यह चुन्नीलाल जी बिड़ला भी शामिल थे। तो जो भी शामिल होते, किसी न किसी को कुछ खर्चा करना पड़ता था। बिड़ला जी इस काम में सबसे आगे रहते थे कि कोई किसी प्रकार की बात नहीं हो। लेकिन सादा स्वभाव, सरल स्वभाव और लोगों का आना-जाना उस आदमी के पास इतना था कि किसी मंत्री के पास भी इतने लोग मिलने नहीं आते होंगे। इस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से चला गया।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री मधु लिमये राजनीति में स्पष्टवादिता के प्रतीक थे। उस आदमी ने कभी इस बात का संकोच नहीं किया कि मैं जो सही और सटीक बात हो उसको कहूंगा तो कौन नाराज होगा और कौन नाराज नहीं होगा। समाजवाद जो उनके मन में बैठा हुआ था उस समाजवादी मापदण्ड के आधार पर सारी चीजों का आकलन करना उस व्यक्ति की प्रवृत्ति थी। जिस समय लोक सभा के सदस्य नहीं रहे उस समय लगातार हिन्दुस्तान की राजनीति में उन्होंने अपनी कलम से सटीक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कोई भी

6

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यक्ति उनकी नजर से बचा नहीं चाहे विधान सभा में कोई कार्यवाही हो, चाहे लोक सभा में किसी प्रकार की कार्यवाही हो, चाहे लोक सभा में कोई कानून पेश किया जाए या अन्य अन्तरराष्ट्रीय मामलों के अन्दर भी कोई किसी प्रकार की उथल-पुथल हो, मधु लिमये की टिप्पणी निश्चित रूप से होती थी और टिप्पणी सटीक होती थी जिसमें निर्भयता का एक इस प्रकार का अपने आप ही प्रदर्शन होता था। आज कई लेखक हो सकता है कि किसी कारण से किसी बात से बंध कर चले लेकिन मैं हिन्दुस्तान के लेखकों में उस व्यक्ति का भी नाम लिये बिना नहीं रह सकता, मधु लिमये का, कि वह किसी के व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत व्यवहार या परिस्थितियों से किसी प्रकार का समझौता करके अपनी कलम नहीं चलाते थे, कलम बिल्कुल सटीक होती थी। इतना मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में उस व्यक्ति का नाम इस बात के लिये भी याद रखा जाएगा कि लोक सभा की परम्परा और नियम के बारे में जितना ज्ञान उस व्यक्ति को था, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता। आज कई तैयार हुए हैं लेकिन मैंने कई बार लोक सभा में देखा कि जिस समय भी फुरसत मिली हम तो केन्टीन मे चले जाएं या और कहीं चले जाएं पर मधु लिमये का यदि पता लगाना हो तो लाइब्रेरी में बैठे हुए मिलेंगे। कितना अध्ययनशील व्यक्ति था कि एक बार पांच वर्ष तक लोक सभा में उस अकेले व्यक्ति ने विरोध की जिस प्रकार की भूमिका निभायी है, वह भी अपने आप में एक इतिहास का निर्माण किया है। नियमों के अन्तर्गत कोई मधु लिमये को दूसरी बात कह दे इस प्रकार की संभावना नहीं थी। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से चले गये हमें इसका बहुत अफसोस है।

श्री अम्बालाल जी माथुर स्वतन्त्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बड़ी कुर्बानी की है, बहुत परेशान हुए हैं। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से चले गये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इन सब लोगों को अपनी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री ने देश के और राजस्थान के सार्वजनिक जीवन के कई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जो दो विधान सभा सत्रों के अंतराल में हमारे बीच नहीं रहे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ज्ञानी जैलसिंह जी फरीदकोट देशी रियासत के ग्राम संघवान की गरीब की झोंपड़ी में पैदा हुए। उसके बाद में उन्होंने ग्रंथ साहब को कंठस्थ याद किया। एक छोटे गुरूद्वारे के ग्रंथी से विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के राष्ट्राध्यक्ष के पद पर पहुंचने का संघर्षमय सफर ही ज्ञानी जैलसिंह जी के जीवन की अनोखी कहानी है।

प्रजा मण्डल में, देशी रियासतों में किसी भी राजनीतिक आंदोलन को चलाना बहुत साहस का काम हुआ करता था। उनको बहुत यातनाएं दी गयीं। 6 साल की सजा भी उन्होंने भुगती। 1946 में जब राष्ट्र ध्वज फहराने के लिये उन्होंने अपने निर्णय को बहुत निर्भीकता से रखा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फरीदकोट गये थे।

(श्री परसराम मदेरणा)

उपाध्यक्ष महोदय, वह पेप्सू राज्य में मंत्री रहे। कैरो सरकार में भी मंत्री रहे। वह पंजाब के मुख्य मंत्री भी रहे। भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को उन्होंने सुशोभित किया।

ज्ञानी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे। वह उनके भाषणों में हमेशा कहा करते थे, "मुहब्बत खुदा है और खुदा है मुहब्बत, मुहब्बत न होती तो खुदा भी न होता।"

मुझे अच्छी तरह याद है कि 1983 में वे गंगानगर आये थे जब राष्ट्रपति थे, मैंने उनका एक भाषण सुना था जो उन्होंने गंगानगर के गुरूद्वारे में दिया था और यहां पर बैठे हुए गंगानगर के माननीय सदस्य शायद उस वक्त उस गुरूद्वारे में मौजूद थे। उनका विषय था, "सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल।"

ग्रंथ साहब से कई उद्वरण उन्होंने पेश किये। जो सत्य बोलता है, सत श्री अकाल, जो सत्य है उसका कोई काल नहीं है, वह इटरनल है। जो बोले सो निहाल, जो बोलता है उसको स्वर्ग मिलेगा, उसकी साल्वेशन है। इसी एक विषय पर उन्होंने भाषण दिया। वह धार्मिक पुरुष थे।

उन्होंने राष्ट्रपति के पद के वक्त भी जो परम्पराएं कायम की, खास तौर से हमेशा वह राष्ट्र के सम्मुख जो ज्वलंत समस्याएं थीं उनका विवेचन किया करते थे और बहुत ही सिम्पल लिविंग और हाई थिंकिंग के व्यक्ति थे, उनका यह आदर्श था। उनके निधन से निश्चित तौर पर राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हुई है।

श्री टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के उन व्यक्तियों में थे जिन्होंने प्रजामण्डल के संस्थापक के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया।

टीकाराम जी एक निर्भीक व्यक्ति थे। वह कई बार जेल भी गये। वह अत्यन्त सिद्धान्तवादी थे।

मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि 1953 में जब उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था, मैं उस गैलरी में बैठा था, उन्होंने एक घंटे का जो भाषण दिया था उसकी अमिट छाप आज भी मेरे दिल और दिमाग पर है। बहुत निडरता से उन्होंने यहां पर अपना भाषण दिया था और उनको मालूम था कि शायद अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो सकता है। वह उसी आसन पर विराजमान थे, वहीं से बोल रहे थे जहां पर अभी मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं।

राजस्व सम्बन्धी मामलों में उनका अद्वितीय ग्राफ था गंगाराम जी जैसा। वह राजस्व मंत्री हीरालाल जी शास्त्री के कार्यकाल में भी रहे और जयनारायण जी व्यास के कार्यकाल में भी रहे। उन्होंने भूमि सुधार के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जितनी निडरता, निर्भीकता, निर्णय लेने की जो शक्ति का प्रदर्शन किया, उस वक्त राजस्थान में जागीर थी, पैमाइश का बहुत बड़ा विरोध हो रहा था, डकैत अनाप-शनाप इन्सानों को मार रहे थे, उस वक्त उन्होंने जिस कुशल प्रशासन का उदाहरण पेश किया वह हमेशा स्वर्ण अक्षरों में राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा। उनके निधन से भी हमको बहुत बड़ी क्षति हुई है।

श्री नरोत्तमलाल जी जोशी प्रथम विधान सभा के, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष थे। वह बुद्धिजीवी भी थे, विचारक भी थे। उन्होंने जो माननीय सदस्यों को ट्रेनिंग दी वह बात तो अलग है लेकिन उन्होंने जो भी निर्णय लिये यहां पर पीठासीन अधिकारी की हैसियत से, वह हमारे लिये हमेशा प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। अगर वास्तव में देखा जाए, काफी

(श्री परसराम मदेरणा)

सरल स्वभाव के और कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे लेकिन विधान सभा के संचालन में जितना रौब मैंने उनका देखा, उतना मैंने किसी भी अध्यक्ष का नहीं देखा। माफ करेंगे, मुझे उप मुख्यमंत्री जी। उनके कार्य संचालन का जो तरीका था, हालांकि मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था, कई बार मुझे गैलरी में बैठने का अवसर मिला था, कई दफा वह अपने निर्णय में कठोर भी बहुत थे। मुख्य मंत्री जी, एस.के.व्यास को बाहर निकालने में शायद उन्होंने एक दर्जन से ऊपर बाहर निकाले होंगे टांगाटोल करके अपने निर्णय के ऊपर और विधान सभा के कार्य संचालन में जो परम्पराएं उन्होंने डालीं, मैं समझता हूं कि वे हमारे राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास के अन्दर एक नया स्वर्ण अध्याय निश्चित तौर पर जोड़ेंगी और उनके निर्णयों से हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे, हम ही नहीं, हमारे उत्तराधिकारी भी।

श्री एम. कोईरेंग सिंह, पूर्व मुख्य मंत्री, मणिपुर ने कुछ दिन पहले अपनी स्वयं की एक पार्टी बनायी थी। वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह द्वितीय महायुद्ध में आजाद हिन्द फौज में सुभाष बोस के साथ सम्मिलित हुए। एक अधिकारी भी रहे। वह राज्य के मुख्य मंत्री भी रहे और मणिपुर क्षेत्रीय परिषद के चैयरमेन भी रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान वहां के सार्वजनिक जीवन में कानून और व्यवस्था कायम करने में रहा है। हमेशा उनको मणिपुर की जनता याद करती रहेगी।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री रामकिशन जी जिनको कामरेड कहते थे, पाकिस्तान के झंग जिले से आये थे और बहुत सादा जीवन व्यतीत करने वाले गुलजारीलाल जी नंदा की तरह के व्यक्ति थे। डिप्टी मिनिस्टर बने और डिप्टी मिनिस्टर से सीधे मुख्य मंत्री बने। मुख्य मंत्री काल में हरिजनोत्थान, ग्रामोत्थान, खादी और ग्रामीण उद्योग को आगे बढ़ाने में उन्होंने सक्रिय रूप से काम किया। विदेशों में भी यात्रा की। उनका जीवन हमारे लिये एक आदर्श जीवन है। उनको कामरेड कहते थे लोग। कामरेड उस व्यक्ति को कहते हैं जो सामाजिक विचारधारा का है। विचारधारा का ही नहीं है, उसका रहन-सहन भी उसी तरह का है। उनका सादा रहन-सहन हमारे लिये एक अनुकरणीय उदाहरण है।

श्री बृजराज सिंह जी इसी विधान सभा के सदस्य थे। कुछ महीने पहले मुझे मिले थे और मेरा उस वक्त स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मुझे उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिये। लेकिन यह विधि का विधान है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए मैं तो यहां आज हूं और वह हमारे बीच नहीं रहे।

वह एक मिलनसार व्यक्ति थे। जनता दल से यहां पर आये थे, उसके बाद वह राज्य सरकार में मंत्री बने। को-ऑपरेटिव मूवमेंट के अन्दर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे। सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के सदस्य भी थे, संचालक थे। उन्होंने समाजवादी दल के आन्दोलनों में सक्रिय हिस्सा लिया। उनके आकस्मिक निधन से राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में एक बहुत बड़ी रिक्तता आयी है।

श्री जगदीशचन्द जी दरक भी हमारी विधान सभा के सदस्य थे। जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि मैसिव हार्ट अटैक की वजह से अचानक ही हमारे बीच से चले गये।

(श्री परमराम मदेरणा)

वह कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और उसके साथ ही कई स्पोर्टस एक्टीविटीज के भी वह संरक्षक थे। सार्वजनिक जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।

हमारी इस विधान सभा के सदस्य का अकस्मात निधन हमारे लिये बहुत बड़े दुःख की बात है, वह हमारे बीच में नहीं रहे।

रामप्रताप जी कटारिया आठवीं विधान सभा के सदस्य थे। मुख्य-मंत्री जी ने जब वह सीट खाली कर दी तो कटारिया जी वहां से विधान सभा के सदस्य बने। वह मिलनसार व्यक्ति थे। उसके साथ ही वह झोटवाड़ा के उप प्रधान भी रहे, सरपंच भी रहे। किसानों की समस्याओं को हमेशा वे उठाते थे। साथ ही राजस्थान राज्य की पर्यावरण और आयोजना समिति के सदस्य भी रहे। कटारिया जी का निधन एक दुर्घटना में हुआ यह बहुत दुःख का विषय है। उनसे भी हमारे सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आयी है।

रामकरण कताला जायल से सातवीं विधान सभा के सदस्य रहे। उस वक्त वह एक ही व्यक्ति था जब मैं किसान बोर्डिंग में पढ़ता था, कुछ विश्नोई थे, दूसरे गुर्जर, जाट थे लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट का एक ही व्यक्ति वहां पर उस वक्त बोर्डिंग में था। मेरे से दो क्लास वे जूनियर थे। उस वक्त मारवाड़ में मिडल बोर्ड हुआ करता था। वे कुचारा के निवासी थे फिर जाकर वे जायल में बस गये थे।

हमेशा हरिजन कल्याण और ग्रामीण विकास में उनकी रूचि रही। वे अपने क्षेत्र की समस्याओं, खास तौर से पानी की समस्या के लिये हमेशा चिन्तित रहते थे क्योंकि उनका क्षेत्र पानी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। उनके आकस्मिक निधन से भी हमारे सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आयी है।

बेगाराम जी चौहान पांचवी विधान सभा के सदस्य रहे और छठवीं और नवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। वह जनता दल के सदस्य थे। वह परामर्शदात्री के सदस्य भी रहे। हमेशा अपने प्रदेश की समस्याओं को लोक सभा में और विधान सभा में उठाते रहे। हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिये उन्होंने अनुकरणीय कार्य किया।

भोपाल सिंह जी भाटी मुझसे एक साल जूनियर थे। अच्छे स्पोर्टसमैन थे। बी.ए., एल एल.बी. और अच्छे एडवोकेट भी थे। थार रेगिस्तान की समस्याओं का अगर किसी भी व्यक्ति को गहरा अध्ययन था और गहरी पैठ थी तो वह श्री भोपाल सिंह जी भाटी को थी। आपके काजरी का जो रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, चाहे भारत सरकार के ड्राट-प्रोन एरिया के लिये बातचीत में आते थे उनसे हमेशा वह प्रभावित होते थे और वे कहते थे कि रेगिस्तान की समस्याओं के बारे में जितना अध्ययन, जितनी पैठ और जितना ग्राफ भोपाल सिंह जी का है।

वह दो दफा प्रमुख भी रहे और विधान सभा के सदस्य थे। उनके अकस्मात निधन से हमको बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।

चन्दर सिंह जी बहरोड़ से दूसरी विधान सभा के सदस्य रहे। मिलिट्री स्कूल में उन्होंने मिलिट्री की शिक्षा प्राप्त की। निर्दलीय सदस्य के रूप में उन्होंने बहरोड़ का प्रतिनिधित्व किया और किसानों की समस्याओं को निरन्तर सदन मे उठाते रहे। वे समाज-सेवा के लिये समर्पित व्यक्ति थे।

(श्री परसराम मदेरणा)

चुन्नीलाल जी बिड़ला प्रजा मण्डल के वक़्त जिला प्रजा मण्डल के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस कमेटी के भी मंत्री थे और माण्डल के प्रथम प्रधान भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक चेतना जागृत करने के सतत प्रयत्न किये। सहकारिता आन्दोलन में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा और सहकारिता के सम्बन्ध में विधान सभा में भी उन्होंने अपने विचार रखे।

,मधु लिमये पांच बार लोक सभा के सदस्य रहे। वह समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी नेता थे। सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में उनकी अहम् भूमिका रही। गोवा मुक्ति अभियान में भी 13 वर्ष के लिये उनको कारावास की सजा हुई थी और बीच में छोड़ दिये गये थे।

वह स्वाध्यायी व्यक्ति थे। उन्होंने 80 पुस्तकें लिखीं। हमेशा उनके लेख, जब तक वह जिन्दा रहे, समीक्षाकात्मक आलेख इतने धारदार और तथ्यपरक हुआ करते थे कि उनके लेख पढ़ने के बाद में हमेशा ज्ञान वृद्धि ही नहीं होती थी बल्कि पोलिटिकल टेंस जो देश में चल रहे हैं उनकी भी जानकारी मिलती थी।

अखबारों में पढ़ते थे कि संसद में नियमों में और संवैधानिक प्रावधानों में, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्दर उनके बराबर का ज्ञाता पाना बहुत कठिन है। उनके वैधानिक दृष्टिकोण में इतनी प्रखरता थी, कानूनी बारीकियों को इस्तेमाल करके, अपनी प्रतिभा से पीठासीन अधिकारी को अपने तर्क से और विधि ज्ञान से कई दफा बाध्य कर देते थे और सदन के अन्दर ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाती थी कि उनके उठाये हुए मुद्दे को पीठासीन अधिकारी को मान्य करना पड़ता था।

अम्बालाल जी माथुर स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने 1936 में एक साप्ताहिक मीरा नाम का चलाया। उसके वह सम्पादक थे, यह अजमेर में चलाया। जब ब्रिटिश सरकार ने उनको उस जिले से निकाल दिया तो रास बिहारी बोस और क्रान्तिकारियों के सानिध्य में वह लाहौर चले गये। वापस लौटने के बाद बीकानेर से उन्होंने लोकमत के सम्पादक के रूप में कार्य किया। एक निर्भिक पत्रकार थे। विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों के साथ में वह विदेशों में गये और संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में कांफ्रेंस ऑन रिलीजन एण्ड पीस से जुड़े हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे।

इन सभी दिवगंत आत्माओं के प्रति मैं अपनी ओर से और मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवगंत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असह्य दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

मुख्य मंत्री जी, हुकमसिंह जी का देहावसान हुआ वह कन्फर्म नहीं हुआ क्या? हुकमसिंह जी भी नहीं रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : हुकमसिंह जी भी एम.एल.ए. थे उनका भी स्वर्गवास हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल कर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : हां, ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शोकाभिव्यक्ति के बारे में जो प्रस्ताव हैं, पिछले सत्र से आज तक जो

(श्री अमराराम)

सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिनकी इस देश और प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में अहम् भूमिका रही है, चाहे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी हों, टीकाराम जी पालीवाल और नरोत्तम जी जोशी हों और अन्य, हमारे इस सदन के वर्तमान दो सदस्य और मंत्री और बाकी जो सदस्य जिनकी सार्वजनिक जीवन में अहम् भूमिका थी, जिनकी रिक्तता से सार्वजनिक जीवन को क्षति हुई है। जो शोक-संतप्त परिवार हैं उनको इस सदमे को झेलने की मैं प्रकृति से कामना करता हूं कि क्षमता दे और उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री फतेहसिंह (नेता, जनता दल) : उपाध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1 से 15 तक की जो शोकाभिव्यक्ति की लिस्ट सामने आयी है जिसमें मुख्य मंत्री महोदय ने एक प्रस्ताव शोकाभिव्यक्ति के लिये रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

क्रम संख्या एक पर ज्ञानी जैलसिंह जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका निधन हुआ। वह भी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर रहे। इनके बारे में सारा बता दिया गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल–पूर्व मुख्य मंत्री राजस्थान, श्री नरोत्तम लाल जोशी–पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा, श्री एम. कोईरेंग सिंह–पूर्व मुख्य मंत्री मणिपुर, श्री रामकिशन–पूर्व मुख्य मंत्री, संयुक्त पंजाब, श्री बृजराज सिंह जी–राज्य मंत्री, राजस्थान, श्री जगदीश चन्द दरक–सदस्य दसवीं राजस्थान विधान सभा, श्री रामप्रताप कटारिया–पूर्व सदस्य, आठवीं राजस्थान विधान सभा, श्री रामकरण–पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा, श्री बेगाराम–पूर्व सदस्य, पांचवीं राजस्थान विधान सभा, श्री भोपाल सिंह भाटी–पूर्व सदस्य, पांचवी राजस्थान विधान सभा, श्री चन्दर सिंह–पूर्व सदस्य, दूसरी राजस्थान विधान सभा, श्री चुन्नीलाल बिड़ला–पूर्व सदस्य, प्रथम राजस्थान विधान सभा, श्री मधु लिमये– प्रख्यात समाजवादी नेता एवं चिन्तक, समाजवादी नेता श्री अम्बा लाल माथुर– स्वतंत्रता सेनानी, ये कई ऊंचे पदों पर रहे और इन्होंने राष्ट्र के हित में, देश के हित में, इस क्षेत्र की जनता के हित में अच्छा काम किया। इसी के खातिर इनको ऐसे पदों पर पहुंचने का अवसर मिला।

अब ये आज हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। उनके शोक-संतप्त परिवारों को दुःख सहने की शक्ति दे।

जय हिन्द।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच अनेक हमारे साथी, अनेक विभूतियां हमसे अलग हो गयीं।

ज्ञानी जैलसिंह जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति गांधी जी के इन विचारों के सटीक प्रतीक थे कि भारत का राष्ट्रपति कैसा हो। एक गांव में जन्मा व्यक्ति, बहुत कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति इस राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। इस प्रकार के व्यक्ति वह थे। अपने जीवन में सार्वजनिक जीवन में हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। आजादी के संघर्ष में अनेक यातनाएं सहीं। वह हमसे दूर चले गये, बहुत बड़ी क्षति हुई है देश को।

उपाध्यक्ष जी, टीकाराम जी पालीवाल और नरोत्तम लाल जी जोशी का जब जिक्र आता

(श्री शिवनाथ सिंह)

है, उस समय की घटनाएँ सामने आती हैं, कितनी पीड़ा हमारे इन नेताओं ने देश के लिये, प्रदेश के लिये सहीं। टीकाराम जी पालीवाल जयपुर राज्य प्रजा मण्डल के फाउंडर मैम्बर्स में से थे। वे इसके महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे और किसान आन्दोलन जो जयपुर राज्य की सीमाओं में चल रहा था उसके अग्रणी नेता थे। किसान आन्दोलन और जब नाम आता है जयपुर स्टेट का तो शेखावटी का क्षेत्र विशेष महत्त्व रखता है और पालीवाल जी का शेखावटी क्षेत्र से बहुत बड़ा लगाव था। वे वहाँ बार-बार जाते थे। अनेक सभाओं में जागीरदारों के द्वारा उनकी पिटाई हुई। चनाना कांड हम सबको याद है कि प्रजा मण्डल की मीटिंग हो रही थी, चारों तरफ से जागीरदारों के घोड़े आ रहे थे, सेल बर्छियां आ रही थीं और वो शख्स, नरोत्तम लाल जी जोशी और सरदार हरलाल सिंह जी अडिग चट्टान की तरह से वहां खड़े रहे और उनके प्रहारों को सहा। इस प्रकार के वे व्यक्ति थे। अच्छे वकील थे। अच्छे राजस्व मंत्री के रूप में जयपुर स्टेट का उन्होंने काम किया। शेखावटी के लोगों का इतना लगाव हो गया था, आपस में इतने घुल-मिल गये थे, एक किस्सा मुझे याद आता है, एक आदेश गया कि लगान इस दर से लिया जाए और किसान वहां का बिल्कुल अनपढ़ था। कलक्टर साहब ने उसको दिखलाया, गांव वालों, तुम मान जाओ पालीवाल जी का आदेश है, किसान बिल्कुल अनपढ़ था। उन्होंने देखा पालीवाल जी के दस्तख्त नहीं है, पालीवाल जी के दस्तख्त तो लाल होते हैं। इतना उनका लगाव था। आपस में बैठकर बात करते थे, उनके सामने दस्तख्त करते थे, आदेश दिया करते थे। ऐसा व्यक्ति राजस्थान की जिसने सेवाएं कीं, खास तौर से जयपुर स्टेट की जनता की सेवाएं की, हमसे दूर चला गया, दुःख की बात है।

नरोत्तम लाल जी जोशी को इस विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इस राजस्थान के कानून मंत्री भी रहे। वह चीजें बाद की है लेकिन हमें वह दिन याद है जब जयपुर स्टेट की विधान सभा के चुनाव हो रहे थे और जोशी जी उसके उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। उदयपुरवाटी क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, वे प्रचार के लिये गये और जागीरदारों ने एक बोरे में बंद कर उनको उदयपुरवाटी क्षेत्र की सीमा से बाहर ले जाकर पटक दिया, तू ब्राह्मण है, इसलिये तेरे को जिंदा छोड़ते हैं, वरना जान से मार देते, तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की। इस प्रकार के कष्ट इस विभूति ने सहे। जोशी जी ने विधान सभा में अच्छी परम्पराएं डालीं, अच्छा संचालन उन्होंने किया उसके लिये तो विधान सभा, हम सब साथी उनको याद करेंगे लेकिन उनके उन कष्टों को और जिस प्रकार के भयंकर तृष्णा और कष्ट के दिनों में उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया, किसानों के लिये लड़े, उनको शेखावटी की जनता हमेशा-हमेशा याद करेगी।

उपाध्यक्ष जी, दूसरे कई साथी हैं, जिनके साथ लोकसभा में, विधान सभा में रहने का सौभाग्य मिला। वह आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत पीड़ा का विषय है। हमारे दो साथी जो इसी विधान सभा के सदस्य थे, मंत्री भी थे वे अचानक चले गये। किसी को विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी से वे चले जाएंगे। एक साथी जब जाता है, पीड़ा होती है।

मधु लिमये जी की बात मुख्य मंत्री जी ने कही। हमें याद है वे कितनी लगन से पार्लियामेण्ट मे अपनी बात रखते थे। कितने सुचारु रूप से अपनी बात को वहां रखते थे और पूरा हाऊस, मधु लिमये जी बोल रहे हैं,

(श्री शिवनाथ सिंह)

सुनने को आतुर रहता था। ऐसे व्यक्ति वह थे।

मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से इन सब दिवगंत आत्माओं के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति प्रदान करें। हम इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैलसिंह जी, श्रीमान् टीकाराम जी पालीवाल, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान, श्री नरोत्तम लाल जोशी, पूर्व माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, श्री एम.कोईरेंग सिंह जी, पूर्व मुख्य मंत्री मणिपुर, श्री रामकिशन जी, पूर्व मुख्य मंत्री, संयुक्त पंजाब, श्री बृजराज सिंह जी, राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार तथा इस विधान सभा के सदस्य श्री जगदीश चन्द जी दरक, पूर्व सदस्य श्री राम प्रताप जी कटारिया, श्री रामकरण जी कताला, श्री बेगाराम जी चौहान, श्री भोपाल सिंह जी भाटी, श्री चन्दरसिंह जी यादव एवं श्री चुन्नी लाल जी बिड़ला, प्रख्यात समाजवादी नेता एवं चिन्तक श्री मधुलिमये जी और स्वतंत्रता सेनानी श्री अम्बालाल माथुर के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

विश्व को शांति, आपसी प्रेम, एकता, धर्मनिरपेक्षता, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता का संदेश देने वाले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी का जन्म पंजाब की छोटी-सी रियासत फरीदकोट के गांव संघवान में 5 मई, 1916 को हुआ।

एक दस्तकार और काश्तकार के घर में जन्मे ज्ञानी जैलसिंह जी ने यद्यपि औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की लेकिन अपने पिता के सानिध्य में पंजाबी, हिन्दी और उर्दू का अध्ययन किया। गुरूग्रंथ साहिब के विशेष अध्ययन के फलस्वरूप आपको "ज्ञानी जी" की उपाधि प्रदान की गयी।

ज्ञानी जी अपनी चरित्रता, बल और दृढ़ता के आधार पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। 15 जुलाई, 1982 को आप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई, 1982 को आपने पद की शपथ ग्रहण की।

ज्ञानी जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। आजादी के दीवानों से प्रेरणा लेकर आपने अकाली दल के कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत की। अठारह वर्ष की आयु में आप फरीदकोट अकाली दल के महासचिव बने और वर्ष 1938 तक इस पद पर बने रहे।

वर्ष 1938 में आपने राज्य प्रजा मण्डल का नेतृत्व करते हुए देशी रियासतों के विरुद्ध एक आन्दोलन खड़ा किया और उसमें आप गिरफ्तार हुए। उसमें आपको पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल में आपको घोर यातनाएं दी गयीं जिन्हें अपने अदम्य साहस के साथ सहन किया। जेल में रहकर आपने रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया।

वर्ष 1946 में आपने फरीदकोट में राष्ट्रीय झंडा आन्दोलन चलाया और गिरफ्तारियां दीं। जेल से छूटने के पश्चात् वर्ष 1946-48 तक आप पटियाला राज्य प्रजा मण्डल के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1948-49 में आप पटियाला तथा

(श्री उपाध्यक्ष)

पूर्वी पंजाब राज्य यूनियन, अर्थात् "पैप्सू" की पहली अन्तरिम सरकार में राजस्व मंत्री तथा वर्ष 1951-52 में कृषि एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे। वर्ष 1955-56 में आप "पेप्सू" प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे।

वर्ष 1955 से 62 तक आप राज्य सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1962 में आप फरीदकोट से पंजाब विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा सरदार प्रतापसिंह जी कैरों की सरकार में मछली-पालन राज्य मंत्री रहे। वर्ष 1972 में पंजाब विधान सभा के दुबारा सदस्य निर्वाचित हुए और बाद में सर्वसम्मति से आप पंजाब के मुख्यमंत्री बने।

वर्ष 1980 में आप होशियारपुर क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के लिये चुने गये और श्रीमती गांधी के मंत्रिमण्डल में आप गृह मंत्री बनाये गये। कुशाग्र बुद्धि, असाधारण सामान्य ज्ञान और ईश्वर के न्याय में दृढ़ आस्था के बल पर आपने लोक सभा में विपक्षी नेताओं को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोक सभा में महान् संतों और कवियों के वचन, उद्धरण विरोधियों को देकर न केवल आप उनको निरुत्तर कर देते थे बल्कि वातावरण को तनावमुक्त और खुशनुमा बना देते थे।

पुस्तक संग्रह, इतिहास, पंजाबी साहित्य तथा धर्मग्रंथों का अध्ययन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, संगीत और कविता आपके विनोद के प्रमुख विषय रहे। ग्रामोत्थान में आपकी विशेष अभिरुचि रही। पत्रकारिता से भी आप जुड़े रहे। दैनिक "खालसा सेवक" के आप प्रबन्ध निदेशक तथा "नवारे चरण" के मुख्य सम्पादक रहे। "दुखी प्रजा दी पुकार" आपकी प्रकाशित कृति रही।

आपने यूरोप, सोवियत संघ तथा अन्य कई देशों की यात्राएं की हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी 29 नवम्बर, 1994 को एक सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। 27 दिन तक जीवन-मृत्यु से संघर्ष करने के उपरान्त 25 दिसम्बर, 1994 को आपका निधन हो गया। आपके निधन से देश ने एक जुझारू, जागरूक और जीवट वाला राष्ट्रीय नेता खो दिया है।

इसी तरीके से राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी माननीय श्री टीकाराम जी पालीवाल का जन्म वर्ष 1909 में सवाई माधोपुर जिले के मंडावर ग्राम में हुआ। आपने मंडावर, अलवर, दिल्ली और मेरठ में अध्ययन कर बी.ए. एवं एल.एल.बी. की उपाधियां ग्रहण कीं। आपने हिण्डौन से वकालत का काम प्रारम्भ किया और जल्दी ही आजादी के आन्दोलन में सक्रियता से भाग लेने पर आपको कई बार जेल यात्राएं करनी पड़ीं। आपने श्री जमनालाल जी बजाज के नेतृत्व में सत्याग्रह किया।

श्री पालीवाल जी का नाम राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहले पृष्ठ पर अंकित हुआ है। वर्ष 1952 में हुए आम चुनावों में आप महुआ तथा मलारना चौड़ दोनों क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। श्री पालीवाल जी को राज्य की पहली लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आप 3 मार्च, 1952 से 31 अक्टूबर, 1953 तक इस पद पर रहे। इसके बाद आप श्री जयनारायण व्यास की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाये गये तथा 15 अप्रेल, 1953 को आपने इस पद से त्याग-पत्र दे दिया। लेकिन जनवरी से नवम्बर, 1954 में आप पुनः वित्त एवं उप मुख्य मंत्री रहे।

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्ष 1957 में दूसरी बार राजस्थान विधान सभा के लिये हुए आम चुनावों में आप महुआ निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए लेकिन वर्ष 1958 में राज्य सभा के सदस्य चुन लिये जाने के कारण आपने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। वर्ष 1962 में आप हिण्डौन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के लिये चुन लिये गये।

जयपुर राज्य प्रजा मण्डल के संयुक्त सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे। श्री पालीवाल जी वर्ष 1946 में हीरालाल जी के नेतृत्व में बनी जयपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार में राजस्व मंत्री बनाये गये। वर्ष 1951 में श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्त्व में बनी कांग्रेस सरकार में भी आप राजस्व मंत्री रहे।

वर्ष 1949-50 में आप राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। वर्ष 1977 में आप जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किये गये। आप संयुक्त राष्ट्र संघ की जयपुर इकाई के अध्यक्ष भी रहे।

राजस्व सम्बन्धी मामलों के अध्येता श्री पालीवाल जी कृषकों के कल्याण में गहरी रुचि रखते थे। किसानों की दशा सुधारने के लिये राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन सम्बन्धी कानून पारित करवाने में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

श्री टीकाराम जी पालीवाल का 8 फरवरी, 1995 को निधन हो गया।

प्रथम राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी का जन्म 16 दिसम्बर, 1914 को झुंझुनूं में हुआ। आपने महाराजा कॉलेज, जयपुर से स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम.ए., एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की। बाद में झुंझुनूं में आपने वकालत की और झुंझुनूं बार एसोसियेशन के भी आप अध्यक्ष रहे।

प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय विचारधाराओं से जुड़े होने के कारण आपने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से भाग लिया। पूर्व जयपुर रियासत के कई जागीरदारों के साथ आपके काफी संघर्षपूर्ण कृत्य रहे और उस समय आपके खिलाफ जो अत्याचार हुए, उसमें आपने जो आन्दोलन किया उसमें आपको काफी सजाएं मिलीं और आपको गिरफ्तार कर चनाना जेल में रखा गया।

बुद्धिजीवी और विचारक स्वर्गीय जोशी प्रजा मण्डल के संस्थापकों में से एक थे। झुंझुनूं जिला प्रजा मण्डल एवं जिला कांग्रेस के आप वर्षों तक मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे। राजस्थान विधान सभा के गठन से पूर्व वर्ष 1951-52 में आप जयनारायण जी व्यास मंत्रिमण्डल में विधि मंत्री थे। 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों में झुंझुनूं क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होकर 31 मार्च, 1952 को आप सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गये।

आपके मार्गदर्शन में ही विधान सभा का गठन हुआ तथा सदन की कार्यवाही के संचालन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बनाये गये। विधान सभा अध्यक्ष पद से आपके द्वारा दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों तथा व्यवस्थाओं को आज भी विभिन्न विधायिकाओं में ससम्मान उद्धृत किया जाता है।

श्री नरोत्तम लाल जोशी का निधन 3 दिसम्बर, 1994 को हो गया।

मणिपुर के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एम. कोईरेंग सिंह का जन्म 19 दिसम्बर, 1915 को हुआ।

(16)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सिंह वर्ष 1938 में राजनीति में सक्रिय हुए और मणिपुर की तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक पार्टी निखिल मणिपुरी महासभा के सदस्य बने।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप वर्ष 1944 में आज़ाद हिन्द फौज में सम्मिलित हो गये और युद्ध में सक्रिय रहे। वर्ष 1948 में आप मणिपुर राज्य विधान सभा के सदस्य बने। आप वर्ष 1957 से 62 तक मणिपुर राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे।

वर्ष 1957 से 1962 तक आप मणिपुर क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य रहे और वर्ष 1962 में परिषद के चेयरमैन चुने गये। वर्ष 1963 में आप मणिपुर के मुख्य मंत्री बने। वर्ष 1972 और 1984 के आम चुनावों में आप जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आप मणिपुर जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान विधान सभा के लिये गत दिनों हुए चुनावों में आप मोइरांग निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए थे।

वरिष्ठ नेता श्री एम. कोईरेंग सिंह का 27 दिसम्बर, 1994 को निधन हो गया।

संयुक्त पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री कामरेड रामकिशन जी का जन्म नवम्बर, 1913 में पश्चिमी पाकिस्तान के झंग जिले के ग्राम कोट इसाशाह में हुआ। आपकी मैट्रिक तक की शिक्षा हिन्दू हाई स्कूल तथा गवर्नमेंट कालेज, झंग में हुई।

आप वर्ष 1929-30 में नौजवान भारत सभा तथा वर्ष 1931 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सम्बद्ध रहे। वर्ष 1948 से 1952 तक आप जिला कांग्रेस कमेटी जालंधर के अध्यक्ष तथा कई वर्षों तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रहे।

आपने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1930-33 में नागरिक अवज्ञा आन्दोलन और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कुल मिलाकर 6 वर्ष 4 माह जेल यात्राएं कीं।

वर्ष 1952-57 तथा 1962-67 में आप पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1956-57 में आप पंजाब सरकार के उप मंत्री तथा 1962 में राज्य मंत्री रहे। जुलाई, 1964 से जुलाई, 1966 तक आप संयुक्त पंजाब के मुख्य मंत्री रहे।

वर्ष 1967 से 1969 तक आप होशियारपुर क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आपने हरिजनोत्थान, ग्रामोत्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग के विकास के लिये सक्रिय रूप से कार्य किया। आपने अफगानिस्तान, पौलेण्ड, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी आदि देशों की यात्रा भी की।

श्री रामकिशन जी का 22 फरवरी, 1995 को निधन हो गया।

राज्य मंत्री श्री बृजराज सिंह जी का जन्म धौलपुर जिले के बसेड़ी गांव में वर्ष 1936 में हुआ। आपने ब्राह्मण इण्टर कॉलेज, आगरा से हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

वर्तमान दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिये नवम्बर, 1993 में हुए चुनावों में आप बयाना निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1994-95 की जन लेखा समिति तथा गृह समिति के सदस्य बनाये गये। अक्टूबर, 1994 में आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये तथा 6 अक्टूबर, 1994

(श्री उपाध्यक्ष)

को आप सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री बनाये गये।

आप वर्ष 1960 से 1991 तक ग्राम पंचायत बसेड़ी के सरपंच रहे। आप क्रय-विक्रय संघ तथा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भरतपुर के संचालक भी रहे। सहकारिता को सक्रिय बनाने के लिए आपने तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर में सघन कार्य किया तथा समाजवादी दल के विभिन्न आन्दोलनों में भी सक्रिय रहे। समाज सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि भी रही।

श्री बृजराज सिंह जी का 27 फरवरी, 1995 की मध्य रात्रि में निधन हो गया।

विधायक श्री जगदीश चन्द जी दरक का जन्म 12 मई, 1942 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने बी.कॉम तक की शिक्षा एम.एम.के. कॉलेज, जोधपुर से प्राप्त की।

आप वर्तमान दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिये नवम्बर, 1993 में हुए चुनावों में भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आप विधान सभा की राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के सदस्य थे।

श्री दरक सक्रिय राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ समाज सेवा के लिये भी समर्पित थे। आप वर्ष 1977 से 1985 तक भारतीय जनता पार्टी, भीलवाड़ा के नगर अध्यक्ष रहे। वर्ष 1990 में आप भीलवाड़ा नगर परिषद् के अध्यक्ष बनाये गये।

समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए आप सतत् प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। आप महेश्वरी जिला महासभा, भीलवाड़ा, महेश सेवा समिति तथा महेश शिक्षा सदन, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, भीलवाड़ा के महामंत्री तथा भीलवाड़ा के रामधाम रामायण मण्डल एवं श्री हरनी महादेव मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे। आप कुश्ती, बालीबाल, बास्केटबाल जिला संघ के संरक्षक भी रहे।

श्री जगदीश चन्द जी दरक का 4 मार्च, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रामप्रताप जी कटारिया का जन्म 20 दिसम्बर, 1936 को जयपुर जिले के ग्राम विश्नावाला में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री कटारिया जी आठवीं राजस्थान विधान सभा (1985-90) के लिये अप्रेल, 1985 में हुए उप चुनाव में आमेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे।

आप वर्ष 1965 से 1985 तक ग्राम पंचायत मीणावाला के सरपंच तथा वर्ष 1981 से 1985 तक पंचायत समिति झोटवाड़ा के उप प्रधान रहे। आप वर्ष 1961 से 1965 तक शिक्षा स्थायी समिति तथा वर्ष 1967 से 1977 तक कृषि स्थायी समिति, झोटवाड़ा के भी सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त आप वर्ष 1985 में राजस्थान राज्य पर्यावरण, आयोजना एवं समन्वय समिति के सदस्य भी रहे। गरीबोत्थान तथा सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री रामप्रताप जी कटारिया का 24 फरवरी, 1995 की रात्रि में एक सड़क दुर्घटना में दुःखद निधन हो गया।

सातवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)

रहे श्री रामकरण जी कताला का जन्म 24 जून, 1924 को हुआ। आपने राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, नागौर से मिडल तक की शिक्षा प्राप्त की।

सातवीं विधान सभा (1980-85) के लिये वर्ष 1980 में हुए आम चुनावों में आप जायल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल में आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। नवम्बर, 1980 में आप पूर्वी वृत्त से सम्बन्धित वन-मण्डल के सदस्य भी बनाये गये। इसके अतिरिक्त आप पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास, भू-जल, अन्त्योदय, सैनिक कल्याण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

विधान सभा में आपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को काफी जोरशोर से उठाया तथा उनके समाधान के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहे।

पूर्व विधायक श्री रामकरण जी कताला का 30 नवम्बर, 1994 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद एवं विधायक श्री बेगाराम जी चौहान का जन्म 20 सितम्बर, 1934 को श्रीगंगानगर जिले के ग्राम पंवारसा में हुआ। आपने मिडल स्तर तक की शिक्षा अपने गृह जिले में ही प्राप्त की।

पांचवी राजस्थान विधान सभा (1972-77) के लिये आप रायसिंहनगर निर्वाचन क्षेत्र से जनता मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आप छठी लोक सभा (1977-80) में तथा नवीं लोक सभा (1989-91) में श्री गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः जनता पार्टी तथा जनता दल के सदस्य रहे। नवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन-भूतल परिवहन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, 1990 के सदस्य रहे। विधान सभा और लोक सभा में आप अपने क्षेत्र एवं प्रदेश की समस्याओं को उठाते रहे तथा उनके समाधान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आपने हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिये भी सक्रिय रूप से कार्य किया।

आप अपने राजनीतिक जीवन में वर्ष 1962-77 में स्वतंत्र पार्टी, 1977-79 में जनता पार्टी, 1979 में लोक दल, 1984-85 में जनता पार्टी तथा 1989-90 में जनता दल से सम्बद्ध रहे।

श्री बेगाराम जी चौहान का 23 फरवरी, 1995 को निधन हो गया।

(14.00)

पांचवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे श्री भोपाल सिंह भाटी का जन्म 20 मार्च, 1926 को जैसलमेर जिले के गांव बड़ोड़ा में हुआ। आपने बी.ए., एल.एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की।

पांचवीं राजस्थान विधान सभा (1972-77) के लिये आप जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1957-60 में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा 1960 में जिला कांग्रेस कमेटी, जैसलमेर के अध्यक्ष रहे। आप जैसलमेर जिला परिषद् के वर्ष 1959 में सदस्य तथा वर्ष 1965 में जिला प्रमुख बने।

गौ-पालन में आपकी विशेष अभिरूचि रही तथा ज्योतिष अध्ययन, खेलकूद और समाज सेवा में भी आपकी अभिरूचि रही। आप सामाजिक उत्थान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे। वर्ष 1954 में आप जागरूक.

(श्री उपाध्यक्ष)

परामर्शदात्री समिति, जोधपुर मण्डल के सदस्य बने।

श्री भोपाल सिंह भाटी का लम्बी बीमारी के बाद 21 दिसम्बर, 1994 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री चन्दर सिंह यादव का जन्म अक्टूबर, 1913 में अलवर जिले की मंडावर तहसील के ग्राम सानीली में हुआ। आपने मिलिट्री स्कूल में शिक्षा प्राप्त की।

आपने दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957-62) में निर्दलीय सदस्य के रूप में बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को निरन्तर उठाते रहे और उनके समाधान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

समाज सेवा के लिये समर्पित श्री यादव स्वतन्त्रता आन्दोलन से भी जुड़े रहे हैं।

श्री चन्दर सिंह यादव का 4 अक्टूबर, 1994 को निधन हो गया।

प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे श्री चुन्नीलाल जी बिड़ला का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण 13 संवत् 1966 को मांडल में हुआ। आपकी विद्यालय स्तर की शिक्षा पैतृक स्थान मांडल में ही हुई।

गांधीवादी नेता श्री बिड़ला जी प्रथम आम चुनावों में मांडल विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1959 में पंचायत राज से जुड़ गये तथा मांडल पंचायत समिति के प्रथम प्रधान के रूप में आप निर्विरोध चुने गये। वर्ष 1947 से 1949 तक आप मांडल ग्राम पंचायत के पंच भी रहे।

ग्रामीण समस्याओं के लिये आपने अनेक बार जन आन्दोलन किये। आप लम्बे समय तक ग्रामोत्थान परिषद्, मांडल के अध्यक्ष भी रहे। आप वर्ष 1942 में जिला प्रजा मंडल के अध्यक्ष तथा 1952 में जिला कांग्रेस के मंत्री बनाये गये।

अपने सार्वजनिक जीवन में जन साधारण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिये आप सतत् प्रयत्नशील रहे। सहकारिता आन्दोलन में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। समाज सेवा में आप सदैव सक्रिय रहे। आपने अपने जिले में फैली हैजा एवं मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिये एक समिति का गठन किया तथा रोगियों के इलाज के लिये समुचित चिकित्सा प्रबन्ध कराया।

श्री चुन्नीलाल जी बिड़ला का लम्बी बीमारी के बाद 4 दिसम्बर, 1994 को निधन हो गया।

प्रखर समाजवादी नेता एवं चिन्तक श्री मधु लिमये जी का जन्म 1 मई, 1922 को पूना में हुआ। आपकी शिक्षा फरगुसन कालेज, पूना में हुई। कम उम्र में ही स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड़ जाने के कारण आपको वर्ष 1940 से 1945 तक चार वर्ष की कड़ी जेल की सजा हुई जिसके कारण आपकी पढ़ाई में व्यवधान हुआ।

वर्ष 1955 में गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने पर आपको 12 वर्ष के कारावास की सजा हुई। 19 माह से अधिक समय तक आप पुर्तगाली जेल में रहे और पुर्तगालियों से जब गोवा आजाद हुआ तो आपकी रिहाई हुई। जुलाई, 1975 से फरवरी, 1977 तक

(२०)

(श्री उपाध्यक्ष)

आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत आप मध्य प्रदेश की कई जेलों में रहे।

श्री मधु लिमये भारत के समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी नेता एवं जनक रहे हैं। अपनी अप्रतिम मेधा एवं परिश्रमशीलता से आपने आजाद भारत के लोकतंत्र को समाजवादी आन्दोलन के माध्यम से सींचा है। आप वर्ष 1938 से 1948 तक कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य रहे। आप वर्ष 1952 से 1955 तक समाजवादी दल के मंत्री तथा वर्ष 1958-59 में इसके अध्यक्ष रहे। वर्ष 1977 में आप जनता पार्टी के महामंत्री बनाये गये थे।

आप तीसरी लोक सभा (1964-67) से छठी लोक सभा (1977-80) तक लगातार चार बार सांसद निर्वाचित हुए। ध्येयवादी राजनीति और विधि के शासन के पक्षधर श्री मधु लिमये नितान्त मर्यादावान थे। लोक सभा की कार्यवाही वृत्तान्तों में आपकी प्रखर प्रतिभा को परिलक्षित करने वाले उदाहरण विद्यमान हैं। वैधानिक रूप से न्याय का पक्ष प्रस्तुत करने में आपको महारथ हासिल थी। लोक सभा में आप नियमों-उपनियमों तथा कानून की भारी बारीकियों का प्रयोग कर पीठासीन अधिकारियों को बाध्य कर अपनी बात कहने के लिये समय प्राप्त कर लेते थे।

राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर बेबाक टिप्पणियों के लिये ख्यातनाम रहे श्री मधु लिमये जी ने अपने अध्ययन एवं चिन्तन को लेखन में साकार कर लगभग 80 पुस्तकें लिखीं। संसदीय एवं संवैधानिक विषयों के पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य दैनिक पत्रों में आपके लेख अक्सर छपते रहते थे। आपकी प्रकाशित कृतियों में "कम्युनिस्ट पार्टी: फैक्ट्स एण्ड फिक्शन", "इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट पालिसी", "पालिटिकल होरिजन्स" आदि प्रमुख हैं।

आपने वर्ष 1947 एवं 1953 में अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलनों तथा परिषदों में भारतीय समाजवादी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया तथा पश्चिमी और पूर्वी यूरोप, बर्मा और सोवियत संघ की यात्रा भी की। ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय महत्त्व के स्थानों के भ्रमण में आपकी विशेष रूचि रही। शास्त्रीय संगीत से भी आपको बेहद लगाव था।

श्री मधु लिमये जी का 8 जनवरी, 1995 की देर रात्रि में निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार श्री अम्बालाल जी माथुर का जन्म वर्ष 1922 में हुआ। कम उम्र में ही आप स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ गये। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने आपको जिला बदर कर दिया था। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आप रास बिहारी बोस तथा अन्य क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में भी रहे।

पत्रकारिता के माध्यम से भी आप देश सेवा के प्रति समर्पित रहे। वर्ष 1936 में आपने "मीरा" नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1947 में आपने "लोकमत" नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र निकालना प्रारम्भ किया और जीवन पर्यन्त इससे जुड़े रहे।

श्री अम्बालाल जी माथुर संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बद्ध "वर्ल्ड कान्फ्रेंस रिलीजन एण्ड पीस" के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारतीय स्वतन्त्रता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। आप भारत के विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों के साथ

(श्री उपाध्यक्ष)

अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन, थाईलैण्ड, पाकिस्तान व श्रीलंका में गये।

श्री अम्बालाल जी माथुर का 9 फरवरी, 1995 को निधन हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट का मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि दें।

(तद्नन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू को श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज के दिन ही इस देश के प्रमुख बलिदानी श्री भगत सिंह, श्री सुखदेव और राजगुरू को जेल में फांसी दी गयी थी। आज सारे देश में उनके इस बलिदान को लेकर मौन श्रद्धांजलि के रूप में उनके जीवन की ओर प्रकाश डाला जा रहा है और साथ ही उनसे प्रेरणा लेने का आग्रह भी किया जा रहा है। इन तीनों शहीदों ने इस देश में जिस प्रकार अपना बलिदान दिया है, उनके इस खून ने सारे देश में एक तूफान पैदा किया था, जागृति पैदा की थी, देश की आजादी क्या है इसका महत्त्व बताया था, ब्रिटिश शासन की गुलामी के परिणामस्वरूप हम किस प्रकार से पिछड़ रहे हैं, किस प्रकार से गुलाम बने हुए हैं, उसका भी ज्ञान कराया। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ब्रिटिश शासन में उन्होंने जिस प्रकार की जागृति पैदा की और जागृति के कारण से उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के साथ ही उनको यह मालूम हो गया कि अब मुक्ति होना नहीं है, अब तो मुक्ति शरीर से ही होगी, किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं हो सकती। न उन्होंने कभी इच्छा प्रकट की। लेकिन अपने ध्येय पर इस प्रकार से अडिग रहे, ब्रिटिश शासन ने दुनिया भर की धमकियां देने के बाद, किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने के बाद यह लोग अपने आप अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहे और देश की आजादी के लिये बलिदान किया। आज हिन्दुस्तान का नवयुवक या हिन्दुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि उनके जीवन से, बलिदान से और त्याग से परिचित नहीं होगा।

मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा भी कर्त्तव्य है कि ऐसे महान् शहीदों के प्रति, जिन्होंने आज देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को यहां से भगाया और हिन्दुस्तान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाकर देश को आजाद देश के रूप में खड़ा किया उन व्यक्तियों को हम भुला नहीं सकते, हमें उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। मैं चाहूंगा सदन उन तीनों शहीदों के बलिदान के प्रति यहां पर श्रद्धांजलि दे ताकि हम उनका पूरी तरह से सम्मान कर सकें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा हमारे देश के तीन महान् शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के बलिदान के फलस्वरूप; जिन्होंने इस देश में स्वतन्त्रता

(22)

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिये पूरे राष्ट्र के दिमाग को झकझोर दिया था और वही वह लोग थे जो हमेशा बिस्मिल का शेर पढ़ा करते थे "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है", "मां मेरा रंग से बसन्ती चोला।" इसलिए इनके बलिदान ने राष्ट्र के स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और ऐसे महान् शहीदों को श्रद्धांजलि का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव इस सदन में इस सम्बन्ध में पारित करना हमारा परम कर्त्तव्य समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण जो हमारे दिवंगत नेता हो चुके हैं, क्रांतिकारी हो चुके हैं, भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरू, जिनको आज ही के दिन फांसी के फन्दे पर चढ़ाया गया था, राष्ट्र के लिये अपने देश के लिये, अपनी भावी पीढ़ी के लिये उन शहीदों की आत्मा की शांति रहे और हमारे देश में अगले समय वापस ऐसे क्रांतिकारी जन्म लेकर देश की व्यवस्था में सुधार करें इसके लिये आप और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अध्यादेश

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): मैं, राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-5) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री दो अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994) (1994 का अध्यादेश संख्या-6) एवं राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-7) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्री वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं...

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों का परिचय तो करवायें पहले।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, बिल्कुल सही बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, यह परम्परा है। हो सकता है सदन के नेता शायद इनका परिचय नहीं करवाना चाहें। यह तो एक संसदीय परम्परा है कि मन्त्रियों का परिचय करवाया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल करायेंगे। आप तो इनके पास रोज जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

उप मुख्य मंत्री जी पीठासीन अधिकारी थे वहां से वहां बैठ गये, परिचय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना ज्ञान उनको होना चाहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं मैंने तो समस्त संसदीय परम्पराओं का उल्लेख किया था कि उनका परिचय कराये बिना उनसे कोई भी पत्र सदन के पटल पर रखवाना अनुचित है।

अधिसूचनाएं

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देशानुसार वित्त विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ:—

(1) अधिसूचना सं. एफ. 3(4) एफ.डी./ग्रुप-4/87-39 दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं, एवं

(2) अधिसूचना सं. एफ2(2) वित्त/ग्रुप-4/93-12 दिनांक 21 फरवरी, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, खनिज विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ14(4) खान/ग्रुप-2/86/पार्ट दिनांक 12 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किये गये हैं,

(2) अधिसूचना क्रमांक 14(3) खान/ग्रुप-2/86 दिनांक 12 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 42 के अन्तर्गत यथा संशोधित अधिसूचना सं. एस.ओ. 231 दिनांक 27 मार्च, 1986 में संशोधन किये गये हैं,

(3) अधिसूचना सं. 14(2) खान/ग्रुप-2/85 दिनांक 12 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 26 की उपधारा (2) के द्वारा अनुसूची के स्तम्भ सं. 3 में दर्शित अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गयी हैं, एवं

(4) अधिसूचना सं. पं.12(7) खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 12 अगस्त, 1994 जिसके द्वारा खनन पट्टे के प्लाटों की साइज में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार, परिवहन राज्य मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 1992-93 का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय मंत्री महोदय, वो शराब के कारखाने का उद्घाटन भी मेज पर रख दीजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : मैंने तो कोई शराब के कारखाने का उद्घाटन नहीं किया।

(श्री रोहिताश्व कुमार)

श्री चन्दनमल बैद : अखबारों में तो यही निकला है कि आपने उद्घाटन किया है उसका।

श्री रोहिताश्व कुमार : अगर किया है तो आप उसकी जांच कर लो..(व्यवधान).. उद्घाटन तो आप भी मंत्री रहे, कई किये होंगे। मैंने कोई उद्घाटन नहीं किया। (व्यवधान)

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : इसमें क्या बुरी बात है।

श्री चन्दनमल बैद : चलिये, शिलान्यास ही रख दीजिये केवल सदन की मेज पर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर जी भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत

(1) सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 एवं

(2) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश जी मेघवाल, खनिज मंत्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत—

(1) राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1992-93, एवं

(2) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : 1992-93 के लेखे जो पेश किये हैं उनका कारण भी बता दें कि इतना देर पेश करने का क्या है? यह भी हमें बतायें।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरः स्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधयेक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार, प्रभारी मंत्री, राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद: आप शिलान्यास भी सदन की मेज पर रख रहे हैं क्या ?

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात): **उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक,** 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ? (स्वीकृत)

राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24 मार्च, 1995 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.24 बजे शुक्रवार, 24 मार्च, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

(दिनांक 23 मार्च, 1995)

माननीय सदस्यगण,

दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सब का स्वागत करता हूं व आपके माध्यम से राज्य की जनता को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूं।

2. पिछला वर्ष हमारे लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है। महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की ग्रामीण व नगरीय प्रशासन में सहभागिता स्थापित करने तथा सामाजिक एवं राजनैतिक समता के उद्देश्य से नगर पालिकाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। नगर पालिकाओं व पंचायती राज संस्थाओं के इस वर्ष हुए चुनावों में 39,268 महिलाओं, अनुसूचित जाति के 20,909 व्यक्तियों, अनुसूचित जनजाति के 18,129 व्यक्तियों तथा पिछड़े वर्गों के 15,200 व्यक्तियों का चुना जाना सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका हमारे विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मैं सदन के माध्यम से इन संस्थाओं में चुने गये सभी प्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूं तथा आशा करता हूं कि वे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निष्ठा एवं समर्पण की भावना से कार्य करेंगे। इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुशंषा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग का प्रतिवेदन आते ही सरकार इस बारे में आवश्यक निर्णय लेगी।

3. प्रदेश में प्रथम बार ऐसा हुआ है जबकि समस्त पंचायत संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में प्रशासन की बागडोर हो। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए राज्य सरकार व प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। यह भी हमारे लिए संतोष की बात है कि सामान्यतया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदेश में यह चुनाव सम्पन्न हुए। सरकार ने सहकारिता की शीर्ष संस्थाओं के भी चुनाव कराये। अगले वर्ष कृषि मण्डियों तथा चुनाव योग्य सहकारी संस्थाओं के भी चुनाव करा दिये जायेंगे।

4. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द का वातावरण बना है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। बढ़ती हुई आबादी नगरीयकरण, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, बदलती सामाजिक मान्यताओं एवं अन्य कारणों से अपराध बढ़ते हैं। परन्तु पुलिस ने पिछले वर्ष में सजगता एवं सक्रियता से अपराधों की रोकथाम की और अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। पंजाब के आतंकवादियों द्वारा श्री राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण तथा पुलिस के द्वारा उनकी सकुशल रिहाई से जुड़ी घटनाओं से माननीय सदस्य परिचित हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मैं राज्य के पुलिस विभाग को बधाई देता हूँ। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। जयपुर में हुए गुलशन माखीजा के सनसनी खेज हत्याकांड के अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस सफल रही। राज्य के कई जिलों में डकैती,

...जनी और वाहन चोरी करने वाले कई ...र्राज्यीय गिरोहों को भी पुलिस ने पकड़ा। ...ष अभियान चलाकर पुलिस ने गत वर्ष ... 973 अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूस पकड़े और 1,015 व्यक्तियों को ...रफ्तार किया।

5. बढ़ते हुए अपराधों और अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे आधुनिक तरीकों से निपटने के लिए पुलिस को और सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। हमने पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 330 करोड़ रुपये की योजना बनायी है जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत नए थाने व पुलिस चौकियों की स्थापना, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण एवं हथियार, आसूचना एवं अपराध जाँच व्यवस्था को सुचारू करना आदि प्रस्तावित हैं। जयपुर शहर की पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार से भी और अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6. हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि पंजाब के आतंकवादी अभी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. योजनाबद्ध तरीकों से राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से आतंकवादियों, हथियारों एवं बारूद को भारी मात्रा में भारत में भेजने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान की एजेन्सियों द्वारा कश्मीरी उग्रवादी, खालिस्तान कमाण्डो फोर्स एवं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एवं अतिवादी संगठनों को मिला कर भारत में हिंसात्मक कार्यवाही कर आतंक उत्पन्न करने की योजना बनाने की सूचना है।

7. इस स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकार पूर्ण सजग है। सीमा पर होने वाली तस्करी में भारी मात्रा में ए.के. सीरीज की रायफलें, राकेट लांचर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ग्रिनेड, बम्ब इत्यादि पकड़े गये हैं। इसके अतिरिक्त 1993 में करीब 62 करोड़ रुपये के मूल्य की हेरोईन, चरस, सोना, चाँदी, एसिटिक एनहाईड्रेट इत्यादि वस्तुओं को पकड़ा गया था जबकि इस वर्ष करीब 152 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं को पकड़ा गया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले 1510 और पाकिस्तान से भारत आने वाले 230 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

8. इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए और पाकिस्तान के इरादों को विफल करने के लिए इस सीमा को सील करना आवश्यक है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं। सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को और सुदृढ़ किया गया है और कई स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के और निकट लाया गया है। गंगानगर और बीकानेर जिलों की सीमा पर तारबन्दी पूर्ण हो चुकी है और तारबन्दी का कार्य जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों की सीमा पर चल रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए भारत सरकार को निवेदन किया है। सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए 1992 में इसी सरकार ने कई कदम उठाये थे। सीमावर्ती जिलों में पुलिस एवं राजस्व प्रशासन को और सुदृढ़ करने के लिए करीब 69 करोड़ रुपये की नई योजना बनायी है जिसके लिए भारत सरकार से धन प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

9. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी। 1994 में 230 अपराध पंजीकृत किये

(28)

गये और पूर्व से लम्बित प्रकरणों को मिला कर 443 प्रकरणों का निपटारा किया गया। इस अवधि में 57 कर्मचारियों के यहाँ छापे मारे गए और 138 जाँचों को पूर्ण किया गया। 1993 में 7 कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी, उसकी तुलना में 1994 में 68 कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। 73 अधिकारियों को दण्डित किया गया जिसमें से 14 अधिकारियों को राज्य सेवा से हटाया गया। 464 अधिकारियों को आरोपित किया गया, जबकि इसके पूर्व वर्ष में 287 अधिकारी आरोपित किये गये थे।

10. राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। श्री जी.के. भनोत की अध्यक्षता में बनी प्रशासनिक सुधार समिति के 9 प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी प्रतिवेदनों पर विचार कर निर्णय ले लिये गये हैं। विभिन्न स्तरों पर निर्णये लेने की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, अनुज्ञापत्रों तथा उनके नवीनीकरण की अवधि बढ़ाया जाना, विभागीय कार्यक्रमों की बेहतर क्रियान्विति, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में व्यापक संशोधन, विभागीय मामलों में विवादों के निपटारे हेतु समितियों का गठन, राजस्थान अतिथि नियत्रंण आदेश, 1978 का समाप्त किया जाना, राज्य प्रशासन का सुदृढ़ीकरण आदि के बारे में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति से जन सामान्य को काफी सुविधा होगी व राजकीय कार्यों का निस्तारण भी तेजी से होगा। पेंशन के शीघ्र भुगतान हेतु श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निमार्ण मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषाओं के अनुसार पेंशन नियमों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर दिया गया है तथा जिला स्तर पर पेंशन स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है। पेंशन अदालतें लगा कर पेंशन के पुराने मामले निपटाये जा रहे हैं।

11. आजादी के बाद के पहले चार दशकों में हमारी विकास अवधारणा में सार्वजनिक उपक्रमों को अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। कन्ट्रोल एवं लाइसेंस प्रणाली इसकी सहज परिणति थी जिसने विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर हमारे देश की उद्यमिता को जकड़ दिया था। बड़े पैमाने पर प्रशासन तन्त्र का विस्तार किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खर्चे बढ़े। निरन्तर घाटे की व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीती बढ़ी, विश्व व्यापार पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय विकास का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाये। निर्यात की कमी के कारण आयात तथा विदेशी मुद्रा पर बोझ बना रहा। विकास दर में कमी होने के कारण देश में गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सका। पानी, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो सकी। जो लोग निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की बात करते थे उन्हें प्रतिगामी कहा जाता था। आर्थिक नीति व योजना बनाने वालों को अब इस गलती का अहसास हुआ है जिसके फलस्वरूप पिछले पाँच वर्षों में देश में आर्थिक उदारवाद का माहौल बना है। आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में संतुलित एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। गाँधीजी कहा करते थे कि हमें अपने कमरे की सारी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि उसमें उन्मुक्त रूप से सभी दिशाओं से हवा आती रहे पर हमारे पैर ठोस धरती पर हों ताकि बाहरी हवा से हम लाभान्वित तो हों पर वह हवा हमें उड़ा न ले जा सके। आर्थिक उदारवाद का पूरा लाभ देश को तभी मिलेगा जब हमारे उद्यमी अपनी स्वयं की क्षमता का विस्तार करें तथा प्रतिस्पर्धा में वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का

मुकाबला कर सकें। यदि हमारे उद्यमियों को समान धरातल नहीं मिला तो वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सामना नहीं कर पायेंगे और धीरे-धीरे ये कम्पनियां हमारे उद्योगों को आत्मसात करती चली जायेंगी।

12. विकास के लिए दीर्घकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य होना आवश्यक है ताकि हर वर्ष होने वाला विकास दीर्घकालीन विकास के अनुरूप हो। राज्य की पहली औद्योगिक नीति 1978 में बनाई गई थी। 1990 में पुनः नई औद्योगिक नीति बनाई गई। तेजी से बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष पुनः नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसमें उद्योगों के लिए भूमि के रूपान्तरण, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, राज्य के संसाधनों पर आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक रूग्णता के निदान, निजी क्षेत्र की भागीदारी, औद्योगिक विनियोजन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध निपटारा तथा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिलास्तर व राज्यस्तर पर प्रभावी मोनीटरिंग की व्यवस्था आदि बातों का समावेश किया गया है। इस नीति के फलस्वरूप प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विनियोजन हो सकेगा। औद्योगिक नीति के अनुसरण में जितने आदेश प्रसारित किये जाने थे वे भी सभी आदेश साथ के साथ जारी कर दिये गये जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इस औद्योगिक नीति की सर्वत्र प्रशंसा हुई है।

13. कुटीर उद्योग व हस्तकला उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान रखते हैं। इनमें कम विनियोजन से रोजगार अधिक मिलता है। इन उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष नीति बनाई है। प्रदेश में चमड़ा, ऊन व खनिज पर आधारित हस्तकला उद्योग व ऐसे ही अन्य उद्योगों के विकास तथा उससे रोजगार बढ़ने की विशेष सम्भावनाएं हैं। समुचित नीति के अभाव में प्रदेश में इन उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इस नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक एस्टेट बनाए जाने, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संगठनों का निर्माण, विपणन, उद्योग लगाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था की जायेगी।

14. राजस्थान की गिनती खनिज उत्पादन में देश के प्रमुख प्रदेशों में की जाती है। राज्य की पिछली खनिज नीति 1977 में बनाई गई थी। नई आवश्यकताओं तथा खनन विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए इस वर्ष पुनःनई खनिज नीति बनाई गई। खनिज नीति की घोषणा के साथ-साथ नियमों में भी आवश्यक संशोधन कर दिये गये। प्रदेश में सगंमरमर तथा ग्रेनाइट का खनन विशेष रूप से हो रहा है अतः इन दोनों खनिजों के लिए अलग नीतियां बनाई गई।

15. सड़कों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिछले वर्षों में सड़क निर्माण के कार्य को आवश्यक प्राथमिकता नहीं दी गई जिसके फलस्वरूप आज राज्य में सड़कों की औसत लम्बाई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। एकरूपता से प्रदेश में सड़क विकास के लिए 1992 में राज्य सरकार ने लगभग 350 करोड़ रुपये की एक योजना को स्वीकृत किया था जिसके अन्तर्गत 1971 की जनसंख्या के 1,000 की आबादी वाले गावों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। विभिन्न साधनों से इस योजना की क्रियान्विति के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। भविष्य में सड़क निर्माण के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए सरकार ने इसी माह सड़क विकास नीति

की घोषणा की है। इसके अन्तर्गत 1991 की जनसंख्या के 1,000 से ऊपर आबादी के सारे गाँव व सभी पंचायत मुख्यालयों को समयबद्ध रूप से सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। जनजाति क्षेत्रों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिखरी आबादी होने के कारण 750 की आबादी तक के गाँव सड़कों से जोड़े जायेंगे। इस कार्य हेतु 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। इसमें राज्य योजना, ग्रामीण क्षेत्रों क्रियान्वित होने वाली रोजगार योजनाओं, कृषि मण्डियों की आय और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जायेगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान इस प्रकार की नीति बनाने वाला देश में पहला प्रदेश है।

16. पर्यटन की प्रस्तावित नीति पर विचार लगभग पूरा हो चुका है। शीघ्र ही इसकी घोषणा कर दी जायेगी। इसी प्रकार कृषि नीति का प्रारूप भी बन चुका है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसको भी अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

17. बाल विकास के कार्य को एकीकृत व समयबद्ध रूप से किया जावे इसके लिए भी यूनिसेफ की सहायता से एक दस्तावेज बनाया गया है।

18. सरकार का यह भी प्रयास है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य चिन्हित करें तथा इन लक्ष्यों की सार्वजनिक घोषणा की जावे तथा इन्हें एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो।

19. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष भी राज्य की वार्षिक योजना में आशातीत वृद्धि हुई है। जैसा कि आपको विदित है 2,450 करोड़ रुपये की चालू वर्ष की योजना पिछले वर्ष की वार्षिक योजना से 44 प्रतिशत अधिक है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि अगले वर्ष की योजना इससे भी 30 प्रतिशत अधिक होकर 3,200 करोड़ रुपये की होगी। अब राज्य की वार्षिक योजना का आकार अधिकांश राज्यों की योजना से बड़ा है, यह हमारे लिए गौरव एवं सन्तुष्टि की बात है।

20. राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्ध, करों की बेहतर वसूली, मितव्ययता तथा परियोजना पर आधारित बाह्य सहायता प्राप्त करने से ही ऐसा करना सम्भव हो सका है। अब राज्य में प्रति व्यक्ति विनियोग अन्य बड़े राज्यों के औसत विनियोग से अधिक हो रहा है जिसके कारण राज्य में विकास की गति तेज हुई है। अगले वर्ष योजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पेयजल, उद्योग, रोजगारपरक योजनाओं, सड़कों के निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा एवं ग्रामीण एवं नगरीय विकास को प्राथमिकता दी जायेगी।

21. सरकार का प्रमुख दायित्व है कि वह प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु संसाधन जुटाये तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये। राज्य के साधन सीमित होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का सहयोग लें। राज्य में इस समय बाह्य सहायता से 12 परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं जिनकी लागत लगभग 1,800 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु 3,000 करोड़ रुपये की लागत की नई परियोजनाएँ बनाने का कार्य प्रगति पर है।

22. राज्य में बिजली की कमी की स्थिति से माननीय सदस्य परिचित हैं। वित्तीय साधनों की कमी तथा केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं

की स्वीकृति में विलम्ब किये जाने के कारण इस क्षेत्र में विनियोग थम सा गया था। बिजली की कमी की पूर्ति के लिए सरकार ने 450 मेगावाट बिजली खरीदने हेतु राष्ट्रीय तापीय विद्युत् निगम से इस वर्ष एक अनुबन्ध किया तथा कोटा थर्मल संयंत्र की पाचवीं इकाई भी प्रारम्भ की। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली रावतभाटा अणुशक्ति परियोजना की दूसरी इकाई ने भी इस वर्ष काम करना बन्द कर दिया। तकनीकी कारणों से अब इस इकाई से उत्पादन तीन वर्ष के लिए नहीं होगा। पहली आणविक इकाई पहले से ही बन्द पड़ी थी। इस परियोजना से हमें 300 मेगावाट बिजली 61 पैसे प्रति यूनिट मिलती थी। इसके बन्द हो जाने से बिजली की पूर्ति अन्य जगहों से महंगी दर पर बिजली खरीद कर की जा रही है। इसका विद्युत मण्डल के साधनों पर इस वर्ष लगभग 91 करोड़ रुपये का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान है। केन्द्रीय अभिकरणों की अव्यवस्था का भार राज्य विद्युत मण्डल पर थोप दिया जाता है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अंता में भी कम गैस मिलने से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। कोटा तापीय संयंत्र की पाचवीं इकाई के भी खराब हो जाने से भी प्रदेश में बिजली की कमी हुई जिसकी पूर्ति केन्द्रीय अभिकरणों व अन्य राज्यों से बिजली खरीदकर की गई।

23. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि प्रदेश में लगभग 3,200 मेगावाट ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी क्षेत्र की कम्पनियों से आवेदन पत्र मागे हैं। बाड़मेर के कपूरड़ी व जालीपा में 1,500 मेगावाट, बरसिंहसर (बीकानेर) में 480 मेगावाट व सूरतगढ़, द्वितीय स्टेज में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन के संयंत्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं। धौलपुर में 700 मेगावाट बिजली का संयंत्र भी निजी क्षेत्र में लगाया जायेगा सूरतगढ़ में लगने वाले तापीय विद्युत संयंत्र की 250 मेगावाट की पहली इकाई का कार्य प्रगति पर है। इससे 1996-97 में बिजली का उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है। बिजली की अल्पकालीन माँग की पूर्ति करने के लिए अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, आबूरोड व उदयपुर में डीजल से बिजली उत्पादन करने के सौ-सौ मेगावाट के संयंत्र लगाये जा रहे हैं। इन संयंत्रों के 1996-97 तक लग जाने की आशा है। इन सभी परियोजनाओं पर अगले पाँच वर्षों में लगभग 18,000 करोड़ रुपयों का विनियोग होगा। निजी क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के द्वारा आवेदन पत्र मांगने का यह एक अभिनव प्रयास है। कुछ राज्यों ने समझौता-पत्र के आधार पर कम्पनी विशेष से बात कर विद्युत परियोजनाएं हाथ में ली हैं। खुली प्रतिस्पर्धा से विद्युत संयंत्र लगाने के प्रयासों को भारत सरकार ने सराहा है तथा अन्य राज्यों को निर्देश दिये हैं कि वे इस प्रकार की व्यवस्था से ही निजी क्षेत्र में संयंत्र लगायें।

24. 340 करोड़ रुपये की लागत के मथानियां में लगाये जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। अगले वर्ष तक इस योजना के स्वीकृत होने की आशा है।

25. आय और खर्च में असंतुलन के कारण राज्य विद्युत् मण्डल का बढ़ता घाटा हमारी चिन्ता का विषय है। विद्युत मण्डल द्वारा उत्पादित व क्रय की जाने वाली बिजली की लागत व विक्रय मूल्य में बड़ा अन्तर है

जिसके कारण विद्युत मण्डल को बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बिजली उत्पादन करने वाली निजी कम्पनियां उनके द्वारा बेची जाने वाली बिजली की कीमत के भुगतान हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की गारंटी चाहती है ताकि विद्युत मण्डल द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर उनकी मांग राशि का भुगतान सरकार द्वारा उन्हें किया जावे। यदि बिजली की लागत व विक्रय मूल्य में अन्तर रहता है और घाटे का भुगतान राज्य कोष से करना पड़े तो उसका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस पर माननीय सदस्य विचार करें तथा सरकार को अपने सुझाव दें।

26. विद्युत वितरण की व्यवस्था में सुधार करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। बिजली की चोरी की रोक-थाम के लिए भी कार्यवाही की गई है। कृषि कनेक्शनों की सुविधा के लिए एल.फार्म की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। लाइसेंसधारी ठेकेदारों की कमी को देखते हुए प्रमाणित वायरमैन तथा सक्षम सुपरवाइजर को 30 अश्व शक्ति तक के विद्युत कार्य को करने तथा एल. फार्म जारी करने को अधिकृत कर दिया है। जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा होगी। उपभोक्ताओं व मण्डल के बीच में उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए समझौता समितियां बनाई गई हैं।

27. इस वर्ष 201 लाख हैक्टेयर रबी में 70 लाख टन के कीर्तिमान खाद्यान्न के उत्पादन व रबी में कुल 111 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन की सम्भावना है। प्रदेश में इस वर्ष तिलहन का उत्पादन 32 लाख टन तथा कपास की 13.5 लाख गाठों का कीर्तिमान उत्पादन होने का अनुमान है। इस वर्ष खाद की खपत भी 6.25 लाख टन होगी जो पिछले वर्ष की खपत से 25 प्रतिशत अधिक है तथा एक नया कीर्तिमान भी। तिलहन उत्पादन में अब हमारा स्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में है।

28. राज्य में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर जिले के लोसिंग जलग्रहण क्षेत्र को देश में शुष्क खेती प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है और इसे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले वर्ष से आश्वासित रोजगार कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम व सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले जल एवं भू-संरक्षण के कार्य जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर ही कराये जायेंगे।

29. राज्य में गावों के चयनित समूहों में फल विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। फल विकास के कार्य को गति देने के लिए अगले वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सीमान्त व छोटी जोत के किसानों के लिए फल विकास का एक विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फलों के पौधे लगाने व उनकी देखभाल के लिए अधिकतम 15000/- रुपये प्रति हैक्टेयर तक का अनुदान दिया जायेगा।

30. प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए जल के कुशलतम उपयोग के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष लगे 5,416 फव्वारा सेटों की तुलना में इस वर्ष 12,000 फव्वारा सेट लगेंगे। अब यह पद्धति सीकर व झुन्झुनूं जिलों के अलावा अलवर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर आदि जिलों में लोकप्रिय हो रही है।

31. किसानों के लिए खेती की नई तकनीक

तैयार की जाये व इसका उन्हें लाभ मिले, इस दृष्टि से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के लिए नीतिपरक विकास योजना तैयार की जा रही है जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष से की जायेगी। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की सहायता से राज्य के सभी जिलों में कृषि विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय को अनुबंध के आधार पर शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार शोध की व्यवस्था हो सके।

32. कृषि मण्डियों द्वारा इस वर्ष लगभग 60 करोड़ रूपये की धनराशि सड़कों व विपणनतंत्र के विकास पर खर्च की जायेगी। अल्प आय वाली मण्डियों के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अधिक आय वाली मण्डियों की आय से सहायता देने की व्यवस्था की जायेगी।

33. राज्य में जल संसाधनों की कमी है। सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है कि अन्तर्राज्यीय नदी समझौतों से प्रदेश को पानी का अपना हक मिले। यमुना नदी जल बंटवारे का प्रश्न कई वर्षों से लम्बित था। यमुना नदी के पानी के बंटवारे का मई, 1994 में हुआ समझौता इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पक्ष के कुशल प्रस्तुतिकरण से हमें पानी का 1.111 बी.सी.एम. हिस्सा मिला। इस पानी से 3 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है। इससे इस पानी से भरतपुर, अलवर, चूरू, सीकर व झुन्झुनूं आदि जिलों की पेयजल की समस्या का हल हो सकेगा।

34. राज्य सरकार ने सर्वाधिक प्राथमिकता सिंचाई के अधूरे कामों को पूरा करने पर दी है। विभिन्न आकार की सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है ताकि विलम्ब होने से इनकी लागत नहीं बढ़े और किसानों को इनका शीघ्र लाभ मिले। राज्य के जल स्रोतों के अधिकतम विकास हेतु राजस्थान जल संसाधन एकीकरण परियोजना बनायी जा रही है। इस योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने पर प्रारम्भिक सहमति हो गयी है। राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के द्वितीय चरण के प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए तैयार किये जा रहे हैं। सिद्धमुख नोहर परियोजना व पुराने बांधों की सुरक्षा की परियोजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंदिरा गाधी नहर क्षेत्र में खालों के निर्माण व आवंटित भूमि की जोत में असंतुलन बना हुआ है। सरकार का यह प्रयास होगा कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए अगले वर्ष और प्रभावी कदम उठाये जायें। खालों के निर्माण के लक्ष्य को 40 हजार हैक्टेयर से बढ़ाकर 80 हजार हैक्टेयर किया जायेगा।

35. सरकार ने विशेष प्रयास कर अन्तर्राज्यीय स्रोतों से हमारे हिस्से का जल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जिससे किसान विशेष लाभान्वित हुए।

36. तालाबों के संधारण के लिए जनभागिता आवश्यक है। अभी तक पंचायतों को 50 एकड़ सिंचाई के तालाबों का प्रबन्ध सौंपा हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर तालाबों के बेहतर संधारण हेतु पंचायतीराज संस्थाओं को इससे बड़े तालाबों का प्रबन्ध सौंपने पर भी सरकार विचार करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वर्षा के जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। लोगों की सहभागिता के आधार पर गांवों में जोहड़ व नाड़ी आदि के निर्माण व

मरम्मत का एक विशेष कार्यक्रम अगले वर्ष चालू किया जायेगा ताकि वर्षा के पानी के संरक्षण से भूजल में वृद्धि हो तथा पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था भी हो सके।

37. सहकारिता की दृष्टि से इस वर्ष राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। गत वर्ष 283 करोड़ रुपये के फसली ऋण व 77 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं जो एक नया कीर्तिमान है। चालू वर्ष में फरवरी तक 320 करोड़ रुपये के फसली ऋण व 90 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा दिये गये हैं। कृषि साख व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए शीर्ष सहकारी बैंक ने नाबार्ड के साथ एक सहमति ज्ञापन पत्र निष्पादित किया है। राज्य के 3 जिलों में एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विस्तार चार अतिरिक्त जिलों में करने पर विचार किया जायेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्पिनफेड ने 1993-94 में 7 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

38. प्रदेश में इस वर्ष 3 नगरीय महिला सहकारी बैंक खोले गये हैं। इस प्रकार के बैंकों का और विस्तार कराया जायेगा। इससे महिलाओं की सहकारी संस्थाओं में भागीदारी बढ़ेगी।

39. सहकारी आन्दोलन के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान सहकारी संस्थाएँ अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया गया है। ऐसा करते समय भारत सरकार द्वारा बनाये गये आदर्श अधिनियम तथा राज्य विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

40. पशुपालन का हमारी अर्थव्यवस्था में विशेष महत्त्व है। गौ हमारी संस्कृति की पहचान है। गौ-पालन हेतु सरकार ने गौ संवर्धन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। पशुओं की नस्ल सुधार की गोपाल योजना के अन्तर्गत 950 गोपाल कार्य कर रहे हैं, इन्होंने इस वर्ष जनवरी तक 31,546 कृत्रिम पशु गर्भाधान का कार्य सम्पादित किया। इस योजना का किसानों को विशेष लाभ मिला है। कृषि विकास कार्यक्रम तथा जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना का और विस्तार किया जा रहा है। थारपारकर हमारी महत्त्वपूर्ण गौ नस्ल है। इसके विकास के लिए जैसलमेर जिले में एक विशेष कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर लिया जा रहा है। राज्य में देश की लगभग 40 प्रतिशत ऊन का उत्पादन होता है। ऊन की गुणवता बढ़ाने के लिए भेड़ों की नस्ल सुधार का एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया गया है जिसके अन्तर्गत नस्ल सुधार के लिए संकर मेढ़े भेड़पालकों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

41. पशुओं के विक्रय की व्यवस्था में सुधार के लिए बनायी गयी योजना के अन्तर्गत नगरपालिका स्तर पर 30 तथा पंचायत समिति स्तर पर 300 पशुहाट लगाने की व्यवस्था की जायेगी। पशुहाट स्थल पर पेयजल, घास आदि की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल स्रोतों को लम्बी अवधि के लिए लीज पर देने हेतु विचार किया जा रहा है।

42. प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना जयपुर में की जा रही है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए भाड़ा अनुदान देने के कारण राजस्थान लघु उद्योग निगम के जयपुर स्थित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो से निर्यात लगभग दुगना हो

गया है। जून, 94 से जनवरी, 95 तक प्रदेश में 3,965 करोड़ रुपये के आईई.एम. प्रस्तुत हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,631 करोड़ रुपये के आईई.एम प्रस्तुत हुए थे। रीको द्वारा पिछले वर्ष स्वीकृत 32 करोड़ रुपये के ऋण की तुलना में इस वर्ष फरवरी तक 47 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। इसमें 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राजस्थान वित्त निगम ने इस वर्ष फरवरी, 95 तक पिछले वर्ष के 106 करोड़ रुपये ऋण की तुलना में 126 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। रीको की इस वर्ष की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। राजस्थान वित्त निगम की वसूली भी पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक रही।

43. प्रदेश में रुग्ण इकाइयों के लिए भी एक पैकेज तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत बिजली, परिवहन, वाणिज्यिक कर आदि विभागों की माँग राशि पर ब्याज में राहत दी गयी।

44. इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की सुविधा अब तक केवल जयपुर में ही उपलब्ध होती थी। इस सुविधा को अब कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर में भी उपलब्ध कराया जायेगा। भीलवाड़ा व अलवर में इस प्रकार की सुविधा देने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। निर्यात की वृद्धि के लिए सांगानेर से सीधे ही बोंडेड ट्रक में माल भेजने की व्यवस्था कर दी गयी है।

45. हाथकरघे के विकास के लिए जोधपुर व जालोर में विशेष परियोजनाएँ हाथ में ली गयी हैं। पशुओं की खालों के उपयोग के लिए एक परियोजना टौंक के लिए स्वीकृत की गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता से जूती व मोचड़ी के विकास के लिए 45 लाख रुपये की एक परियोजना चालू की गयी है। भीलवाड़ा पावरलूम से बना सूटिंग देश में प्रथम स्थान रखता है। भीलवाड़ा में कपड़े का कम्प्यूटर डिजाइन केन्द्र स्वीकृत किया गया है, खादी के लिए बीकानेर में एक डिजाइन सेंटर स्थापित किया जायेगा।

46. उद्योगों में व्याप्त रूग्णता का निदान आवश्यक है। इस वर्ष रूग्ण इकाईयों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया। राजस्थान वित्त निगम ने पूर्व वर्ष की 252 इकाइयों की तुलना में इस वर्ष 447 इकाईयों का विक्रय तथा पुनर्वास किया। रीको ने 8 इकाईयों का पुनर्वास किया। रुग्ण इकाईयों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था हेतु यह निर्णय लिया गया है कि यूनिट के बंद होने के बाद बकाया राशि पर विद्युत् मण्डल व राजकीय विभाग ब्याज में राहत दें। रूग्ण संस्थाओं के पुनर्चालन योजना का एक पैकेज राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। उद्योगों में रूग्णता का एक प्रमुख कारण कार्यशील पूंजी का समय पर व समुचित मात्रा में नहीं मिलना है। राज्य सरकार बैंकों पर जोर डाल रही है कि वे कार्यशील पूंजी उद्योगों को उपलब्ध करायें।

47. खनिजों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए खनिज मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है व अधिकारी स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया है। व्यापक रूप से अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

48. बाड़मेर जिले के गिराल क्षेत्र में राजस्थान खनिज विकास निगम द्वारा लिग्नाइट का प्रारम्भिक खनन इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हमारे उद्योगों के लिए ईंधन प्राप्त हो सकेगा। यह हमारे लिए संतोष

की बात है कि गुजरात फर्टीलाइजर कम्पनी के साथ मिलकर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा युगान्डा में खाद बनाने का कारखाना लगाने पर विचार किया जा रहा है।

49. राजस्थान का देश के सीमेन्ट उद्योग में प्रमुख स्थान है। इस समय राज्य में 13 सीमेन्ट फैक्टरियां कार्यरत हैं, सीमेन्ट के तीन नये कारखानों के लिए खनन् पट्टे स्वीकृत किए जा चुके हैं। 9 सीमेन्ट संयंत्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। प्रदेश में निकट भविष्य में 13 नये सीमेन्ट कारखाने लगने सम्भावित हैं। इन पर लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

50. शिक्षा विकास का आधार है। अतः इस वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के बजट में 119 प्रतिशत व साक्षरता के बजट में 105 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। राज्य के दो जिलों में इस समय उत्तर साक्षरता कार्यक्रम व 13 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। अगले वर्ष 8 अतिरिक्त जिलों में यह अभियान चलाया जायेगा और 1996-97 तक सभी जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत ले लिया जायेगा।

51. इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 2,268 प्राथमिक शालाएं खोली गयी हैं। 1,192 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है। 148 माध्यमिक शालाएं व 165 उच्च माध्यमिक शालाएं खोली गयी तथा 2 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चालू किये गये।

52. इस वर्ष सरकार द्वारा प्राथमिक शालाओं के सभी छात्र-छात्राओं तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। इससे 46 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में 4 लाख छात्र-छात्राओं की वृद्धि हुई है। शिक्षा विस्तार की जो गति इस वर्ष बनी उसे अगले वर्ष भी बनाये रखा जायेगा। लोक जुम्बिश तथा शिक्षाकर्मी योजनाओं का अगले वर्ष और विस्तार किया जायेगा।

53. इस वर्ष राज्य में 2 महाविद्यालय खोले गये हैं तथा 7 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है। 11 और कन्या महाविद्यालयों का अनुदान 90 प्रतिशत तक कर दिया गया है। अगले वर्ष महिलाओं के लिए उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का और विस्तार किया जायेगा।

54. औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार एवं गुणात्मक सुधार आवश्यक है। उद्यमियों की सहायता से तकनीकी शिक्षा में सुधार किया जायेगा। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है। इस पर शीघ्र ही समुचित निर्णय लिये जायेंगे। उद्यमियों को तकनीकी संस्थाओं को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक तकनीकी संस्थान में उद्यमियों व सरकारी अधिकारियों की मिली-जुली सलाहकार समितियों का गठन किया गया है ताकि उद्यमियों को आवश्यकतानुसार तकनीकी शिक्षा दी जा सके और छात्रों को रोजगार मिलने में कठिनाई न हो। भविष्य में राज्य में तकनीकी शिक्षा का विस्तार राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के मापदण्ड के अनुसार ही किया जायेगा। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की विश्व बैंक की परियोजना का राजस्थान में क्रियान्वयन अच्छा

होने के कारण राज्य के हिस्से की परियोजना के आकार में 18 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।

55. सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 12 राजमार्गों के सुधार तथा नई सड़कों के निर्माण हेतु 740 करोड़ रुपये की योजना के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक की प्रारम्भिक सहमति हो चुकी है। सड़कों/पुलियाओं के निर्माण के लिये संस्थागत वित्त प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया गया है। 100 करोड़ रुपये की योजनाएँ हुडको तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड को भेजी गयी हैं तथा 30 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। संस्थागत वित्त प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सड़क विकास कोष की स्थापना की गयी है।

56. विभिन्न् स्रोतों से उपलब्ध साधनों के एकीकरण से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले वर्ष अकाल राहत कार्यक्रमों में सड़कों को प्राथमिकता दी गयी थी। अकाल की अधूरी सड़कों को अब योजना के अन्तर्गत पूरा कराया जा रहा है। सम्बल योजना, आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का उपयोग भी सड़क निर्माण हेतु किया जा रहा है। इस वर्ष राज्य योजना में सड़कों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक राशि रखी गयी है। प्रदेश में सड़कों की कमी को देखते हुए अगले वर्ष इसमें और वृद्धि की जायेगी।

57. सरकार का यह भी प्रयास होगा कि एक्सप्रेस हाइवे, बाईपास आदि के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जायेगा। उद्यमियों से इनके निर्माण करने, चलाने व निर्धारित अवधि के बाद सरकार को हस्तान्तरित करने के आधार पर अनुबन्ध किये जायेंगे।

58. राज्य में ब्राडगेज रेलवे का पिछले दो-तीन वर्षों में काफी विस्तार हुआ है जिसके फलस्वरूप उदयपुर व भीलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश बड़े शहर ब्राडगेज पर आ गये हैं। भीलवाड़ा व उदयपुर में औद्योगिक विकास तथा पर्यटन की आवश्यकता को देखते हुए हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि इन शहरों को भी बड़ी लाइन से जोड़ें। इस वर्ष रेलवे बजट में इस विषयक घोषणा नहीं होने से हमें निराशा हुई है। सरकार इस बारे में पुनः प्रयत्न करेगी। कोलायत से फलौदी तक एक नई बड़ी लाइन, भिवाड़ी को देहली, अहमदाबाद से जोड़ने की सम्पर्क लाइन व जैसलमेर से सानू खान तक की बड़ी रेल लाइन भी डालना आवश्यक है।

59. प्रदेश की 22 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। जनसंख्या की तेजी से वृद्धि, नगरपालिकाओं की सीमित आय, मूल-भूत सुविधाओं के अभाव आदि के कारण नगर सुविधाओं पर दवाब बढ़ रहा है। राज्य के 6 बड़े शहरों के लिए एक परियोजना लागू करने के लिए एशियन विकास बैंक से प्रारम्भिक सहमति हो गयी है। नगरों के विकास के लिए राज्य में इस प्रकार की यह पहली परियोजना होगी। नगरों के विकास के लिए परियोजना के आधार पर हुडको द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। नगर विकास विभाग में परियोजनाएँ बनाने के लिए एक परियोजना निर्माण प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। जनभागिता के आधार पर नगरों में आवश्यक जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सहभागी नगर विकास योजना लागू की है। इस योजना के अर्न्तगत सामुदायिक सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि देय होगी तथा शेष धनराशि नगरपालिका व स्थानीय नागरिकों द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

(38)

60. प्रधानमंत्री के एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी की 20 नगरपालिकाओं में गरीब और पिछड़े तबके के लिए एक नयी योजना लागू की जा रही है। नेहरू रोजगार कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाता है तथा स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है।

61. जयपुर में सहकारी समितियों द्वारा बेचे गये भू-खण्डों के भूमि रूपांतरण तथा नियमन के लिए मई, 94 अभियान चलाया गया था। इसके अन्तर्गत अब तक 16,525 भू-खण्डों तथा 134 योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है।

62. 1990-91 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 47 करोड़ रुपये की संचित हानि की स्थिति में था। 1991-94 की अवधि में निगम ने 40.22 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इस वर्ष निगम पूर्व की हानि के समायोजन के बाद संचित लाभ की स्थिति में आ गया है और इसकी गिनती देश के प्रमुख परिवहन निगम के रूप में की जाने लगी है। निगम को इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार भी मिला है। परिवहन व्यवस्था के दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर एक परिवहन नीति भी अगले वर्ष बनायी जायेगी।

63. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से इस वर्ष लगभग 540 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किये जाने का अनुमान है। अगले वर्ष मरु विकास कार्यक्रम में 8 नई पंचायत समितियों व सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 2 नई पंचायत समितियाँ ली जायेंगी। आश्वासित योजना के अन्तर्गत 50 नई पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। अब यह योजना राज्य के 172 विकास खण्डों में चलायी जायेगी। पाँच वर्ष की अवधि में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जावे। इसके लिए प्रत्येक जिले में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना बनायी जायेगी और इसका क्रियान्वयन शनैः शनैः किया जायेगा। लूनी जलग्रहण क्षेत्र के एकीकृत सघन विकास हेतु 142 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तावित है। जिसके लिए सहायता हेतु जर्मनी से प्रारम्भिक सहमति हो गयी है। इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की एक विशेष परियोजना बनायी जा रही है। इसके लिए बाह्य सहायता प्राप्त की जायेगी।

64. सरकार ने पिछड़े क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बून्दी व भरतपुर, डांग क्षेत्र जिलों के विकास हेतु अगले वर्ष तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। बारां जिले के सहरिया क्षेत्र विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना क्रियान्वित की जा रही है। बड़े गाँव विकास केन्द्र के रूप में अपने आसपास के छोटे गाँवों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाते हैं। समन्वित विकास के लिए राज्य के सभी विकास खण्डों में इन ग्रामीण विकास केन्द्रों की एक नयी योजना अगले वर्ष प्रारम्भ की जायेगी जिसमें प्रत्येक पंचायत समिति में 5 गाँवों को इस कार्यक्रम हेतु चुना जायेगा तथा वहाँ बिजली, बस सेवा, टेलीफोन, पोस्ट आफिस, बैंक, मण्डी, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

65. वन विकास हेतु जनभागिता को बढ़ावा देने के लिए 869 गाँवों में वन सुरक्षा एवं

प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है। जापान सरकार की सहायता से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र तथा अरावली क्षेत्रों में दो परियोजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में इन परियोजनाओं की बेहतर क्रियान्विति से प्रोत्साहित होकर जापान सरकार ने राज्य के 14 जिलों के लिए 145 करोड़ रुपये की एक वानिकी विकास परियोजना स्वीकृत की है जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष से की जायेगी। राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सीडा व ओ.ई.सी.एफ. (जापान) की सहायता से चलने वाले वानिकी कार्यों की जाँच दलों ने प्रशंसा की है यह हमारे लिए संतोष का विषय है। वानिकी कार्यों में लाभान्वितों की सहभागिता बनाने का विशेष प्रयास किया जाता है। पंचायतों के सहयोग से भी वन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर सरकार विचार करेगी। पहाड़ियों को हरा-भरा करने का एक विशेष कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है ताकि शहरों के पर्यावरण में सुधार हो।

66. प्रदेश का विशाल भू-भाग बंजड़ क्षेत्र का है। इस भूमि का उपयोग खेती तथा वन हेतु करने से प्रदेश हरा-भरा हो सकता है और बड़े पैमाने पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं। इस भूमि का विकास विशेष विनियोजन की क्षमता वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। इन भूमियों के आबंटन में प्रमुख बाधा सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों की है। भारत सरकार से सलाह कर इसका कोई संतोषप्रद समाधान निकाला जायेगा।

67. विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। प्रदेश में पर्यावरण विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय नदी योजना के अन्तर्गत कोटा से केशोरायपाटन तक की 15 कि.मी. दूरी में चम्बल नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ करने हेतु एक वृहद् योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के व्यय का वहन किया जायेगा। युवाओं व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से जनभागिता पर आधारित पर्यावरण वाहिनी का 6 जिलों में गठन किया गया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी पर्यावरण के मामले में अधिक सक्रिय होकर जनचेतना जगायें।

68. इस समय राज्य में 14 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम व 15 जिलों में ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए 7 नये जिलों में महिला विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। अगले वर्ष राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

69. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की व्यापक सहभागिता से प्रदेश में सामाजिक चेतना की महत्त्वपूर्ण शुरूआत हुई है। जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्यों के रूप में महिलाओं के जीतकर आने से न केवल महिला विकास व बाल विकास के कार्यक्रम में गति आयेगी बल्कि विकास के अन्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति भी बेहतर होगी।

70. समेकित बाल विकास कार्यक्रम की बेहतर क्रियान्विति के लिए उसे पंचायत राज संस्थाओं के साथ जोड़ा जाने पर विचार किया जायेगा।

71. अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विकास न केवल हमारी संवैधानिक अनिवार्यता

है बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति भी है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति विकास योजनाओं पर इस वर्ष फरवरी तक 24 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है जबकि पिछले वर्ष निगम द्वारा केवल 6.29 करोड़ रुपये की राशि ही खर्च की गयी थी। पिछले वर्ष लाभान्वित हुए लगभग 41,000 लोगों की तुलना में इस वर्ष फरवरी तक 60,000 लोगों को लाभान्वित कर दिया गया है। 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति के सम्बल गाँवों को प्राथमिकता से बिजली, सड़क, पेयजल आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए नवोदय स्कूलों की तरह ही आवासीय स्कूलों की एक वृहद् योजना बनाई गयी है जिसके लिए जर्मनी से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।

72. पूर्व में की गयी घोषणा के अनुरूप जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चपरासी, फोरेस्ट गार्ड, कांस्टेबिल, च. श्रे. कर्मचारी आदि पदों के लिए स्थानीय जनजाति के व्यक्तियों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है ताकि वहाँ जनजाति के स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार मिल सके।

73. नारू रोग से जनजाति क्षेत्र में लोग बहुत परेशान रहते थे। देश के लगभग 40 प्रतिशत नारू के रोगी इस क्षेत्र में हुआ करते थे। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सीडा की सहायता से चलायी जा रही स्वच्छ योजना के सफल क्रियान्वयन से अब इस क्षेत्र में नारू रोग की समाप्ति हो गयी है। बांसवाड़ा जिला नारू मुक्त घोषित कर दिया गया है और शीघ्र ही डूंगरपुर व उदयपुर के जिले भी नारू मुक्त घोषित कर दिये जायेंगे। मुझे आशा है कि अगले दो वर्षों में हम पूरे राज्य से ही नारू उन्मूलन करने में सफल होंगे।

74. पेयजल पर सरकार सदैव विशेष ध्यान देती रही है। इस वर्ष ग्रामीण त्वरित पेयजल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 82 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गयी जबकि पिछले वर्ष 41 करोड़ रुपया ही प्राप्त हुआ था। पूर्व वर्षों में प्राप्त राशि की तुलना में यह राशि सर्वाधिक है। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएँ बनायी जा रही हैं। 21 करोड़ रुपये की ऐसी योजनाएँ अजमेर व जयपुर जिलों के लिए स्वीकृत हुई हैं।

75. इस वर्ष चूरू व हनुमानगढ़ जिलों के समस्याग्रस्त 325 गाँवों के लिए 253 करोड़ रुपये के लागत की एक योजना जर्मनी के सहयोग से स्वीकृत करायी गयी है।

76. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि अजमेर व ब्यावर को बीसलपुर योजना से पानी देना आरम्भ हो गया है। जयपुर को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 550 करोड़ रुपये की एक योजना बनायी जा रही है जिसके लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने के लिए बातचीत की जा रही है। जोधपुर-फलौदी लिफ्ट योजना का कार्य अगले वर्ष पूरा हो जायेगा। इससे जोधपुर में पानी की उपलब्धि में आशातीत सुधार होगा।

77. चालू वर्ष में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रयास किये गये हैं। इस वर्ष न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना, एक्सरे

मशीन व शैयाओं में वृद्धि आदि कई कदम उठाये गये हैं। शहरों में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। औषधियों का बजट दुगना कर दिया गया है।

78. इस वर्ष राज्य के 10 जिलों में चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 108 करोड़ रुपये की एक योजना विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी है। सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 23 जिलों में 115 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी वाहन, छः शैयाओं के वार्ड, आपरेशन थियेटर, जनरेटर आदि सुविधाएँ प्रदान करायी जा रही हैं। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिक्षाकर्मी योजना की तरह स्वास्थ्यकर्मी योजना लागू की गयी है। टौंक व दौसा जिलों में परिवार कल्याण को सामाजिक विपणन पद्धति पर चलाने के लिए विकल्प नाम से एक नई योजना लागू की गयी है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक विशेष परियोजना बनायी जा रही है। अगले वर्ष चिकित्सा के बजट में आशातीत वृद्धि की जायेगी।

79. राज्य में पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम का और तेजी से क्रियान्वयन किया जायेगा। अन्धता निवारण व क्षय रोग नियन्त्रण पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

80. अधिक वर्षा होने से प्रदेश के कुछ जिलों में मलेरिया का इस वर्ष विशेष प्रकोप रहा। अभियान चलाकर सरकार ने इस पर नियन्त्रण किया। रोगियों को मुफ्त दवायें उपलब्ध करायी गयी। योजनाबद्ध तरीके से फेल्सपेरम मलेरिया वाले कैसेज का फालोअप किया जा रहा है। मुफ्त दवाई वितरण हेतु मलेरिया औषधि केन्द्र खोले गये हैं, चिकित्सकों के रिक्त स्थानों को भरा गया है तथा मलेरिया नियन्त्रण के त्वरित प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें रक्त पट्टिकाओं की जाँच, उपचार, डी.डी.टी. स्प्रे, जनशिक्षा आदि शामिल हैं।

81. चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को आवश्यक सहयोग दिया जायेगा। अस्पताल निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए एक नीति बनायी गयी है।

82. पर्यटन के मानचित्र में राजस्थान का विशेष स्थान है। पर्यटन से न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर्यटन की व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन नीति बनायी जा रही है। पर्यटन विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए दो परियोजनाएँ बनायी गयी हैं। बड़ी लाइन पर पैलेस-ऑन व्हील्स गाड़ी अगले वर्ष चालू हो जायेगी।

83. चूँकि प्रदेश में होटलों की कमी है अतः होटल निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। होटलों के निर्माण के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की जायेगी। हमारे पर्यटन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी पेइंग गैस्ट योजना काफी लाभकारी रही है। भारत सरकार ने अन्य राज्यों को इस योजना का अनुसरण करने का सुझाव दिया है। राज्य में इस योजना को 4 नये शहरों में लागू किया जायेगा। नजूल सम्प्रदायों को संयुक्त क्षेत्र में हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने का निणर्य लिया गया है।

84. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना आवश्यक है, इस बारे में विशेषज्ञों से राय लेकर कार्यवाही की जायेगी। सरकार इस बात का भी प्रयास

कर रही है कि एयर टैक्सी सेवायें राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों तक चलें ताकि पर्यटकों को आसानी हो। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों में बनायी गयी हवाई पट्टियों को उपयोग हेतु एयर टैक्सी सेवाओं के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा नये स्थानों पर भी इन सेवाओं के लिए हवाई पट्टियां बनायी जायेंगी।

85. प्रदेश में इस वर्ष सामान्यतया औद्योगिक शान्ति का वातावरण बना रहा। औद्योगिक शान्ति के लिए श्रम विभाग द्वारा नियोजकों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों की नियमित त्रैमासिक बैठकें करने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने इस वर्ष न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण किया। अकुशल श्रमिकों के लिए 22 रुपये के स्थान पर 32 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन तय किया गया। औद्योगिक नीति के अनुसरण में निरीक्षण व्यवस्था में भी परिवर्तन किये गये हैं। दुकानों व वाणिज्यिक संस्थानों के लाइसेंस की एक मुश्त नवीनीकरण की व्यवस्था की गयी है।

86. बेरोजगारी हमारी प्रमुख समस्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ने तथा प्रदेश में हो रही कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति होने के कारण सेवा क्षेत्र में भी रोजगार की सम्भावनाएँ बढ़ी हैं। रोजगार योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा विनियोग बढ़ने से भी गाँवों तथा शहरों में रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध हुए हैं। स्वरोजगार हेतु ट्राइसम प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि रोजगार की अधिक सम्भावनाओं वाले क्षेत्र जैसे चर्म उद्योग, ऊन उद्योग, हस्तकला एवं पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

87. सम्वत् 2050 में प्रदेश में वर्षा की कमी से अभाव की स्थिति बनी थी। अभाव की स्थिति का मुकाबला करने के लिए व्यापक पैमाने पर राहत कार्य खोले गये, पेयजल व चारे की व्यवस्था की गयी। राहत कार्यों में स्थायी महत्त्व के कार्य तथा कार्यों को पूरा कराने पर विशेष जोर दिया गया। राहत व्यवस्था पर अनुमानतः 210 करोड़ रुपये व्यय हुए तथा 5 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। चालू किये गये 16,630 कामों में से 12,244 कार्यों को पूरा किया गया। अकाल के शेष 4,386 अधूरे कार्यों को अब विभागीय विनियोजन से पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

88. देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित एवं प्रबन्धित मन्दिरों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा राजस्थान राज्य मन्दिर संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 60 मन्दिरों का चयन पुनरोद्धार तथा विकास के लिए किया गया है। इनमें से 12 मन्दिरों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

89. राजस्व प्रशासन, राज्य प्रशासन का मेरूदंड है। राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की एक महत्ती योजना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत नई राजस्व को तहसीलों, उपखण्डों व न्यायालयों की स्थापना, आधुनिकीकरण प्रशिक्षण, परिवहन आदि की व्यवस्था की जायेगी। इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगी 500 मीटर पट्टी के बाद 1.5 कि.मी. दूरी तक कृषि भूमि भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन हेतु आरक्षित रखने का सरकार ने निर्णय लिया है, इससे हमारी सीमा सुरक्षा मजबूत होगी।

90. जड़ी-बूटियों की उपलब्धि वनों से होती थी। वनों के कटने से जड़ी-बूटियों का मिलना कठिन हो गया है, इससे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य में जड़ी-बूटियों की खेती करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद औषधि निर्माताओं को जड़ी-बूटियां उगाने के लिए भूमि आवंटन करने की व्यवस्था की जायेगी।

विधायी कार्य :

91. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में अतिरिक्त बजट प्रस्ताव, पूरक मांगें व लेखानुदान के निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे:—

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995
2. राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 1995
3. राजस्थान राज मार्ग विधेयक, 1995
4. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995
5. राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995
6. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1995
7. राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) अधिनियम, 1995
8. राजस्थान मुद्रांक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995
9. राजस्थान आवासन मण्डल (संशोधन) विधेयक, 1995
10. राजस्थान विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1995
11. राजस्थान कर प्राधिकरण गठन विधेयक, 1995
12. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995
13. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995
14. वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए द्वितीय पूरक मांगें।
15. वर्ष 1995-96 के लिए बजट प्रस्ताव एवं वोट ऑन अकाउण्ट।

92. माननीय सदस्यगण बदलती विश्व अर्थव्यवस्था एवं देश में उदारीकरण के वर्तमान दौर का हमें राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए पूरा लाभ उठाना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि आर्थिक उदारीकरण से उत्पन्न इन अवसरों का लाभ गरीब लोगों को सहजता से सुलभ हो। आर्थिक उदारवाद के नाम पर श्रमिकों व गरीबों के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

93. लोकतन्त्र में विकास के मुद्दों पर मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि आप राजस्थान के विकास से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर सामंजस्य की भावना से विचार-विमर्श करें और ऐसा मार्ग सुनिश्चित करें जिस पर चलकर हम एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करने में सफल हों जहाँ प्रदेश में समस्त नागरिकों को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने के सभी अवसर सुलभ हों। इसी भावना को ऋग्वेद में अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है—

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

"आप सबका लक्ष्य एक ही है। एक ही सभा में आप बैठे हैं। अतः आपका मन और चिन्तन भी एकसा ही होना चाहिए। एक सम्मति के साथ आपकी मंत्रणाएं आएँ, यही मेरी प्रार्थना है, इसी एक स्वर से मैं आप सबका एक साथ आह्वान करता हूँ।"

94. मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस सदन के समस्त माननीय सदस्य लोकहित के उद्देश्य से अनुप्राणित होकर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के विकास के लिए मिल-जुल कर कार्य करेंगे।

जयहिन्द